



इलाहाबाद बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

ALLAHABAD BANK

(A Govt. of India Undertaking)

विश्वास की परंपरा

A TRADITION OF TRUST

असाधारण आम सभा हेतु नोटिस

मंगलवार, 10 मार्च, 2015

पूर्वाह्न 10.30 बजे

NOTICE FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Tuesday, 10th March, 2015

10.30 a.m.

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001

वेबसाइट : <http://www.allahabadbank.in>

Head Office : 2, Netaji Subhas Road Kolkata-700 001

Website : <http://www.allahabadbank.in>



इलाहाबाद बैंक
ALLAHABAD BANK

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001
Head Office : 2, Netaji Subhas Road Kolkata-700 001

सूची/INDEX	पृष्ठ सं./Page No.
नोटिस/Notice	3-14
व्याख्यात्मक विवरण, संगत अधिनियमों, योजनाओं तथा विनियमों का सार/ Explanatory Statement(s), Extracts of Relevant Acts, Scheme and Regulations etc.	15-44
व्यक्तिगत सूचना, घोषणा एवं वचनपत्र/Personal Information, Declaration and Underaking	45-50
घोषणा पत्र/Declaration	51-52
नामांकन फार्म/Nomination Form	53-54
उपस्थिति पंजी-सह-प्रवेश पत्र-सह-मतपत्र पास Attendance Slip-cum-Entry Pass-cum-Ballot Paper Pass	55-56
परोक्षी फार्म/Proxy Form	57-58

महत्वपूर्ण तिथियां/कार्यक्रम/IMPORTANT DATES/PROGRAMME

निर्वाचन में भाग लेने एवं कार्यसूची मदो पर मत देने हेतु शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण के लिए नियत तिथि/रिकॉर्ड तिथि Cut-off Date/Record Date for ascertaining the Shareholders eligibility to participate in the election and vote on Agenda items of the meeting	शुक्रवार, 06 फरवरी, 2015 Friday, the 06 th February, 2015
नामांकन फार्म प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि Last date for submission of Nomination form	सोमवार, 23 फरवरी, 2015 Monday, the 23 rd February, 2015
नामांकन(नों) की संवीक्षा Scrutiny of nomination(s)	मंगलवार, 24 फरवरी, 2015 Tuesday, the 24 th February, 2015
उम्मीदवारी वापस लेना Withdrawal of candidature	मंगलवार, 03 मार्च, 2015, अपराह्न 05.00 तक, या उससे पहले On or before Tuesday, the 03 rd March, 2015 upto 05.00 p.m.
ई-वोटिंग E-voting	बुधवार, 04 मार्च, 2015, पूर्वाह्न 10.00 बजे से शुक्रवार, 06 मार्च, 2015 अपराह्न 05.00 बजे तक From 10.00 a.m. on Wednesday, the 04 th March, 2015 to 05.00 p.m. on Friday, the 06 th March, 2015
प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए परोक्षी फार्म एवं संकल्प प्राप्त करने हेतु अंतिम तिथि Last date for receipt of proxy form and resolutions for appointing authorized representatives	बुधवार, 04 मार्च, 2015 Wednesday, the 04 th March, 2015
असाधारण आम सभा की तिथि, समय और स्थान Date, time and place of Extraordinary General Meeting	मंगलवार, 10 मार्च, 2015 को पूर्वाह्न 10.30 बजे, भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेल्वेड्रे रोड, अलिपुर, कोलकाता-700027 Tuesday, the 10 th March, 2015 at 10.30 a.m. at Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata-700027



इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001

नोटिस

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इलाहाबाद बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम सभा मंगलवार, 10 मार्च, 2015 को भाषा भवन ऑडिटोरियम, नैशनल लाइब्रेरी, बेल्वेड्जे रोड, अलिपुर, कोलकाता-700027 में निम्नांकित व्यवसाय/यों के निमित्त आयोजित की जाएगी।

मद संख्या : 1

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एतदपश्चात् 'विनियमन अधिनियम' के रूप में उल्लिखित), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध उपबन्ध) योजना, 1970 (एतदपश्चात् 'योजना' के रूप में उल्लिखित) तथा अधिनियम की धारा 19 के अनुक्रम में यथासंशोधित इलाहाबाद बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 1999 (एतदपश्चात् 'विनियमन' के रूप में उल्लिखित) के साथ पठित बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (एतदपश्चात् 'अधिनियम' के रूप में उल्लिखित) की धारा 9(3)(i) की शर्तों तथा भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना संख्या : डी.बी.ओ.डी. बी.सी. नं. 46 तथा 47/29.39. 001/2007-08 दिनांक : 01.11.2007 तथा डी.बी.ओ.डी. संख्या : बी.सी. नं. 95/29. 39.001/2010-11 दिनांक : 23.05.2011 (एतदपश्चात् 'भा.रि.बैंक अधिसूचना' के रूप में उल्लिखित) तथा भारत सरकार द्वारा दिनांक 03.09.2013 के उनके पत्र द्वारा जारी दिशानिर्देशों (एतदपश्चात् 'सरकारी दिशानिर्देशों' के रूप में उल्लिखित) के अनुसार शेयरधारकों के मध्य से केन्द्रीय सरकार को छोड़कर तीन निदेशकों तक चयन करना तथा निम्नांकित संकल्प को संशोधन(नों) सहित अथवा रहित पारित करना :-

'यह संकल्प लिया जाता है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के साथ पठित बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत सृजित संगत योजना/विनियमों, भा.रि. बैंक अधिसूचना तथा सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार से भिन्न, बैंक के शेयरधारकों के मध्य से श्री....., श्री..... एवं श्री.....को निदेशक के रूप में निर्वाचित किया जाए एवं एतद्वारा किया जाता है तथा वे निर्वाचित माने जाने के आगामी दिन या बुधवार, 11 मार्च, 2015 को, जो भी मामला हो, निदेशक के पद पर पदभार ग्रहण की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए कार्यग्रहण करेंगे।'

मद संख्या : 2

यथा संशोधित सेबी (आई.सी.डी.आर.) विनियम, 2009 के विनियम 76(1) तथा अन्य प्रयोज्य विधि, नियम एवं विनियम, यदि कोई हो, के अनुसार बोर्ड/समिति द्वारा यथा निर्धारित प्रति शेयर ₹ 109.54 (रुपये एक सौ नौ एवं पैसे चौवन मात्र) के प्रीमियम सहित ₹ 119.54 (रुपये एक सौ उन्नीस एवं पैसे चौवन मात्र) प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर ₹ 10/- (रुपये दस मात्र) प्रत्येक के अंकित मूल्य के 2,67,69,282 (दो करोड़ सड़सठ लाख उनहत्तर हजार दो सौ बयासी) तक ईक्विटी शेयरों का नगद आधार पर भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को अधिमानी आधार पर कुल ₹ 320.00 करोड़ (रुपये तीन सौ बीस करोड़ मात्र) तक का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए तो, आशोधन (नों) सहित या रहित, निम्नांकित संकल्प (पों) को विशेष संकल्प के रूप में पारित करना :

'यह संकल्प लिया जाता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध एवं विविध उपबन्ध) योजना, 1970 (जिसे इसके बाद योजना कहा गया है) और यथासंशोधित इलाहाबाद बैंक (शेयर और बैठक) विनियम 1999 के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है) के उपबंधों के अनुसरण में और भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबैं), भारत सरकार, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) और/अथवा इस संबंध में अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, संस्वीकृति, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन और ऐसे निबंधनों और शर्तों एवं उनमें संशोधन के अध्यक्षीन जैसा कि ऐसे अनुमोदन प्रदान करने हेतु उनके द्वारा निर्धारित किया जाए जिस पर बैंक के निदेशक मंडल की सहमति हो और सेबी (पूँजी निर्गम एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियम) यथासंशोधित और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियमों तथा समय समय पर अन्य सभी प्रासंगिक प्राधिकरणों के अध्यक्षीन और स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ किए गए सूचीबद्धता करार के अध्यक्षीन बैंक के शेयरधारकों की सहमति एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसके बाद "बोर्ड" कहा गया है, जिसमें एक समिति शामिल मानी जाएगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड द्वारा गठित की गई है/गठित की जानी है) को दी जाती है कि वह सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के विनियम 76(1) के अनुसार बोर्ड/समिति द्वारा यथानिर्धारित प्रति शेयर ₹ 109.54 (रुपये एक सौ नौ एवं पैसे चौवन मात्र) के प्रीमियम सहित ₹ 119.54 (रुपये एक सौ उन्नीस एवं पैसे चौवन मात्र) प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर ₹ 10/- (रुपये दस मात्र) प्रति शेयर नकद अंकित मूल्य के 2,67,69,282 (दो करोड़ सड़सठ लाख उनहत्तर हजार दो सौ बयासी) तक ईक्विटी शेयरों का भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को अधिमानी आधार पर कुल ₹ 320.00 करोड़ (रुपये तीन सौ बीस करोड़ मात्र) तक का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन करे।'

'यह भी संकल्प लिया जाता है कि निर्गम के मूल्य के निर्धारण के लिए संगत तिथि शुक्रवार, 06 फरवरी, 2015 है।

'यह भी संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड को भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंज जहाँ कि बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य समुचित प्राधिकरणों द्वारा अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति अथवा निर्गम संस्वीकृति प्रदान करते हुए आबंटन अथवा उनकी सूचीबद्धता के समय प्रस्ताव में अपेक्षित एवं अधिरोपित और बोर्ड द्वारा यथा सहमत, किसी भी आशोधन को स्वीकार करने का प्राधिकार एवं शक्ति होगी।'



ALLAHABAD BANK

Head Office: 2, N.S. Road, Kolkata-700 001

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN, that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Allahabad Bank will be held on Tuesday, the 10th March, 2015 at 10.30 A.M. at Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata- 700027, to transact the following business(ess):

ITEM NO. 1:

To elect upto **THREE** directors from amongst the shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations are received in terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with the Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as the "Regulation Act"), the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the "Scheme"), the Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999, as amended made pursuant to Section 19 of the Act (hereinafter referred to as the "Regulations"), Notification No. DBOD. No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and DBOD. No. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Notifications") and the Guidelines issued by the Govt. of India vide their letter dated 03.09.2013 in this regard (hereinafter referred to as the "Government Guidelines") and to pass the following resolution with or without modification(s):-

"RESOLVED THAT Shri-----, Shri-----and Shri-----, be and are hereby elected Directors from amongst the shareholders of the Bank, other than the Central Government, pursuant to Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with Banking Regulation Act, 1949, relevant Scheme, Regulations made thereunder, RBI Notifications and Government Guidelines and shall assume office from the day next they are deemed to be elected or Wednesday, the 11th March, 2015 as the case may be, for a period of three years from the date of their assumption of office of Directors."

ITEM NO. 2:

To create, offer, issue and allot upto 2,67,69,282 (Two crore sixty seven lac sixty nine thousand two hundred and eighty two) equity shares of face value of ₹ 10/- (Rupees ten only) each for cash at an Issue Price of ₹119.54 (Rupees one hundred nineteen and paise fifty four only) per share including premium of ₹109.54 (Rupees one hundred nine and paise fifty four only) per share as determined by the Board/Committee in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 as amended and other applicable Laws, Rules and Regulations, if any, aggregating upto ₹ 320.00 crore (Rupees three hundred twenty crore only) on preferential basis to Government of India (President of India) and to consider and if thought fit, to pass with or without modification (s) the following resolution(s) as

Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the 'Act') read with the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the 'Scheme') and Allahabad Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, as amended and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and /or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as "the Board" which shall be deemed to include a committee which the Board may have constituted or/may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) to create, offer, issue and allot upto 2,67,69,282 (Two crore sixty seven lac sixty nine thousand two hundred and eighty two) equity shares of face value of ₹10/- (Rupees ten only) each for cash at an Issue Price of ₹119.54 (Rupees one hundred nineteen and paise fifty four only) per share including premium of ₹109.54 (Rupees one hundred nine and paise fifty four only) per share as determined by the Board/Committee in accordance with Regulation 76(1) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 aggregating upto ₹320.00 crore (Rupees three hundred twenty crore only) on preferential basis to Government of India (President of India)."

"RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is **Friday, the 06th February, 2015.**"

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India/ Reserve Bank of India/Securities and Exchange Board of India/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."



“यह भी संकल्प लिया जाता है कि इस संकल्प के अनुपालन के अनुसार अधिमानता के आधार पर जारी एवं आबंटित किए जानेवाले उक्त इक्विटी शेयर डिमेटेरियालाइज्ड रूप में तथा यथासंशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (आई.सी.डी.आर.) विनियम, 2009 के अध्याय VII के अंतर्गत विनिर्धारित अवरुद्धता अपेक्षाओं के अधधीन जारी किए जाएँगे तथा हर दृष्टि से (लाभांश सहित) बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समगतिक माने जाएँगे।”

“यह भी संकल्प लिया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी किए जाने के प्रयोजनार्थ निदेशक मंडल निर्गम को जारी करने हेतु ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले तथा बात करने जिसे निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित, वांछित अथवा समुचित समझे, तथा इस संबंध में संभावित किसी भी प्रश्न, कठिनाई अथवा शंका के समाधान हेतु सभी दस्तावेज तथा लेखन तथा यथावश्यक, वांछनीय अथवा समीचीन समझे, ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले और बात जिसे वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार में उचित अथवा वांछनीय समझे, शेयरधारकों, की और किसी सहमति अथवा अनुमोदन की माँग अथवा प्राधिकृत किए बिना, यह मानते हुए कि शेयरधारकों ने इस प्राधिकार के माध्यम से स्पष्ट रूप से अपना अनुमोदन दिया है, करने हेतु एतद्वारा प्राधिकृत है और किया जाता है।”

“यह भी संकल्प लिया जाता है कि निदेशक मंडल उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के प्रयोजन से स्वयं में निहित किसी शक्ति अथवा अपनी समस्त शक्तियाँ बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा उसकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक(कों) में से किसी को अथवा ऐसे अन्य अधिकारी(रियों) जैसा वह उचित समझे को प्रत्यायोजित करने हेतु एतद्वारा प्राधिकृत है एवं किया जाता है”

मद संख्या : 3

यथासंशोधित सेबी (आई.सी.डी.आर.) विनियम, 2009 के विनियम 85(1) तथा अन्य प्रयोज्य विधि, नियम एवं विनियम, यदि कोई हो, के अनुसार बोर्ड/समिति द्वारा यथा निर्धारित प्रीमियम सहित प्रति शेयर ऐसे निर्गम मूल्य पर ₹ 10/- (रुपये दस मात्र) प्रत्येक के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों की उतनी संख्या में अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं को नगदी हेतु अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के आधार पर कुल ₹ 500.00 करोड़ (रुपए पाँच सौ करोड़ मात्र) तक, इस रीति से, ताकि, भारत सरकार (भारतवर्ष के राष्ट्रपति) की बैंक की चुकता इक्विटी पूँजी में कम से कम 52.00% भाग बना रहे, को सृजित, प्रस्तावित, जारी एवं आबंटित करने हेतु निम्नांकित संकल्प(पों) को विशेष संकल्प के रूप में विचार करना तथा यदि उपयुक्त पाया जाए तो आशोधन (नों) सहित अथवा रहित, पारित करना :

“यह संकल्प लिया जाता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध एवं विविध उपबन्ध) योजना, 1970 (एतद्वारा ‘योजना’ के रूप में उल्लिखित) के साथ पठित बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (एतद्वारा ‘अधिनियम’ के रूप में उल्लिखित) तथा यथासंशोधित इलाहाबाद बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 1999 (एतद्वारा ‘विनियम’ के रूप में उल्लिखित) के प्रावधानों के अनुसार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.), भारत सरकार (जी.ओ.आई.), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) एवं/या इस संबंध में अपेक्षित कोई अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, संस्वीकृति, यदि कोई हो, के अधीन, एवं तत्सम्बन्धित निबंधनों, शर्तों एवं आशोधनों के अधीन, जैसा कि ऐसे अनुमोदनों के प्रदान करने के लिए उनके द्वारा निर्धारित किया गया हो, तथा जिन पर बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति व्यक्त की गई हो एवं यथासंशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूँजी एवं प्रकटन अपेक्षाओं सम्बन्धी मामले) विनियम, 2009 (सेबी आई.सी.डी.आर. विनियम) यथासंशोधित तथा भारतीय रिज़र्व बैंक एवं अन्य समस्त सम्बन्धित प्राधिकरणों द्वारा समय समय पर विनिर्धारित विधि, नियमों, विनियमों तथा ऐसे स्टॉक एक्सचेंजों जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ हुए सूचीबद्धता करारों के अधधीन, बैंक के निदेशक मंडल (एतद्वारा ‘बोर्ड’ के रूप में उल्लिखित, जिसमें बोर्ड द्वारा गठित की गई/की जा सकने वाली समिति शामिल मानी जाएगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों का उपयोग करती है।) को निम्नांकित कार्य करने हेतु बैंक के शेयरधारकों की सहमति है एवं एतद्वारा यथासंशोधित सेबी (आई.सी.डी.आर.) विनियम, 2009 के विनियम 85(1) तथा अन्य प्रयोज्य विधि, नियम, विनियम, यदि कोई हो, के अनुसार, बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित प्रीमियम सहित ऐसे निर्गम मूल्य पर नकद आधार पर ₹ 10/- (रुपये दस मात्र) प्रत्येक के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों की उतनी संख्या तक एक या एकाधिक हिस्सों में अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं [सेबी (आई.सी.डी.आर.) विनियम, 2009 के अध्याय VIII में यथापरिभाषित] को अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी.) के आधार पर, कुल ₹ 500.00 करोड़ (रुपये पाँच सौ करोड़ मात्र) तक, इस रीति से, ताकि, भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) का बैंक की चुकता पूँजी में कम से कम 52.00% भाग बना रहे, को सृजित, प्रस्तावित, जारी एवं आबंटित करने हेतु।”

“यह भी संकल्प लिया जाता है कि यथा संशोधित सेबी (आई.सी.डी.आर.) विनियम, 2009 के अध्याय VIII के अनुसार, क्यूआईपी. के मामले में :
(ए) यथा संशोधित सेबी (आई.सी.डी.आर.) विनियम, 2009 के अध्याय VIII के तात्पर्य के अधीन इक्विटी शेयरों का आबंटन केवल पात्र संस्थागत क्रेताओं को होगा। ये इक्विटी शेयर पूर्णतः चुकता होंगे और इन इक्विटी शेयरों का आबंटन इस संकल्प की तिथि से 12 माह के अन्तर्गत पूर्ण किया जाएगा।
(बी) यथा संशोधित सेबी (आई.सी.डी.आर.) विनियम, 2009 के विनियम 85(1) के प्रावधानों के अनुसार बैंक को न्यूनतम मूल्य पर पाँच प्रतिशत छूट के साथ इक्विटी शेयर प्रस्तावित करने के लिये प्राधिकृत किया गया है।



“RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of this resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to Lock-in requirements prescribed under Chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 and shall rank *pari passu* in all respect (including dividends) with the existing equity shares of the Bank.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution”.

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director or in his/her absence to any of the Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.”

ITEM NO. 3:

To create, offer, issue and allot upto such number of equity shares of the face value of ₹10/- (Rupees ten only) each for cash at such Issue Price per equity share including premium as determined by the Board/Committee in accordance with Regulation 85(1) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 as amended and other applicable Laws, Rules and Regulations, if any, aggregating upto ₹500.00 Crore (Rupees five hundred crore only) to Qualified Institutional Buyers on Qualified Institutions Placement (QIP) basis in such a manner that the Government of India (President of India) shall continue to hold not less than 52.00% of the paid-up Equity Capital of the Bank and to consider and if thought fit, to pass with or without modification(s) the following resolution(s) as **Special Resolution:**

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the ‘Act’) read with the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the ‘Scheme’) and Allahabad Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999 as amended (hereinafter referred to as the “Regulations”) and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and /or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) as amended and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and other applicable Laws, Rules and Regulations and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as “the Board” which shall be deemed to include a committee which the Board may have constituted or/ may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) to create, offer, issue and allot upto such number of equity shares of face value of ₹10/- (Rupees ten only) each for cash at such Issue Price per equity share including premium as determined by the Board/ Committee in accordance with Regulation 85 (1) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 as amended and other applicable Laws, Rules and Regulations, if any, aggregating upto ₹500.00 crore (Rupees five hundred crore only) in one or more tranches to Qualified Institutional Buyers [as defined in Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009] on Qualified Institutions Placement (QIP) basis in such a manner that the Government of India (President of India) shall continue to hold not less than 52.00% of the paid-up Equity Capital of the Bank.”

“RESOLVED FURTHER THAT in case of a qualified institutional placement pursuant to Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 as amended:

- a) the allotment of equity shares shall be only to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 as amended, such equity shares shall be fully paid-up and the allotment of such equity shares shall be completed within 12 months from the date of this resolution.
- b) the Bank is authorized to offer equity shares at a discount of not more than five percent on the floor price pursuant to proviso to Regulation 85(1) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 as amended.



(सी) प्रतिभूतियों के न्यूनतम मूल्य के अभिनिर्धारण हेतु संगत तिथि यथा संशोधित सेबी (आई.सी.डी.आर.) विनियम, 2009 के अनुसार होगी।”

“यह भी संकल्प लिया जाता है कि प्रस्ताव में यथा अपेक्षित किसी आशोधन या बैंक का शेयर सूचीबद्ध होने की दशा में भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी/स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अधिरोपित आशोधन या शेयरों को जारी करने, आबंटित करने तथा सूचीबद्ध करने हेतु बोर्ड की सहमति के अनुसार उन पर अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं संस्वीकृति प्रदान करते समय ऐसे अन्य सक्षम प्राधिकारियों के आशोधनों को स्वीकार करने के लिये बोर्ड को पूरा अधिकार एवं शक्ति प्राप्त है।”

“यह भी संकल्प लिया जाता है कि इस संकल्प के अनुसार एन.आर.आई./एफ.आई.आई. एवं/या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को नया ईक्विटी शेयर जारी करना एवं आबंटित करना, यथाप्रयोज्य विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 किन्तु, अधिनियम के तहत घोषित समग्र सीमा के अन्तर्गत, भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अध्वधीन होगा।”

“यह भी संकल्प लिया जाता है कि इस संकल्प के अनुसार जारी किये जाने वाले नये ईक्विटी शेयर यथासंशोधित इलाहाबाद बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1999 के अध्वधीन होंगे और सभी मामलों में उनकी गणना बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयरों के समरूप की जाएगी और वह सांविधिक दिशानिर्देशों जो लाभांश घोषणा के समय प्रभावी हैं, के अनुसरण में घोषित लाभांश, यदि कोई हो, के लिए अर्ह होंगे।”

“यह भी संकल्प लिया जाता है कि ईक्विटी शेयरों के आबंटन या किसी निर्गम को कार्यान्वित कराने के उद्देश्य हेतु प्रस्ताव की शर्तों को अभिनिर्धारित करने के लिए एतद्वारा बोर्ड प्राधिकृत है एवं किया जाता है, जिसमें समाविष्ट है-निवेशकों का वह वर्ग जिन्हें ईक्विटी शेयर आबंटित किया जाना है, शेयर के प्रत्येक हिस्से में आबंटित किये जाने वाले शेयरों की संख्या, निर्गम मूल्य, बोर्ड के पूर्ण विवेकाधिकार द्वारा उचित पाये जाने पर निर्गम पर प्रीमियम राशि और वे सभी कार्य, कर्तव्य, मामले और विषय को पूरा करना तथा पूर्ण विवेकाधिकार के अन्तर्गत आवश्यक, यथोचित या वांछनीय पाये जाने पर इन कार्यों, प्रलेखों एवं करारों को निष्पादित करना, निर्गम से प्राप्त आगम के आबंटन एवं उपयोग के सम्बन्ध में उठे किसी प्रश्नों, कठिनाईयों या सन्देहों को निस्तारित करने हेतु अनुदेश या निर्देश देना या निस्तारित करना तथा शेयरधारकों के पुनः किसी अनुमोदन की अपेक्षा किये बिना बैंक के सर्वोपरि हित में बोर्ड के पूर्ण विवेकाधिकार द्वारा सही और उचित पाये जाने पर शर्तों और नियमों के सम्बन्ध में ऐसे आशोधनों, परिवर्तनों, संशोधनों, विकल्पों, विलोपनों, परिवर्द्धनों को लागू कराना एवं स्वीकार करना और इस संकल्प के माध्यम से बैंक और बोर्ड में निहित सभी शक्तियों या किसी शक्ति को बोर्ड द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है।”

“यह भी संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड किसी अग्रणी प्रबंधक(कों), बैंकर(रों), हामीदार(रों), निक्षेपागार(रों), रजिस्ट्रार(रों), लेखापरीक्षक(कों) तथा ऐसे सभी एजेंसियों जो इस प्रकार की ईक्विटी को प्रस्तावित करने में संलग्न हैं या सम्बन्धित हैं, से इन सभी व्यवस्थाओं को पूरा करने एवं निष्पादित करने हेतु और कमीशन, दलाली, शुल्क या अन्य किसी प्रकार के माध्यम से इन सभी संस्थाओं और एजेंसियों को पारिश्रमिक प्रदान करने तथा ऐसे सभी व्यवस्थाओं, करारों, ज्ञापनों, दस्तावेजों, इत्यादि को इन एजेंसियों के साथ पूरा करने तथा निष्पादित करने हेतु प्राधिकृत है और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।”

“यह भी संकल्प लिया जाता है कि उपर्युक्त कार्यों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य हेतु अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों, परामर्शदाताओं और/या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों के परामर्श में निर्गम(मों) की शर्तों एवं स्वरूप, जिसमें समाविष्ट है - निवेशक वर्ग जिन्हें शेयरों का आबंटन किया जाना है, शेयर के प्रत्येक हिस्से में आबंटित होने वाले शेयरों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि हो), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि, ईक्विटी शेयरों की संख्या, निर्गम पर प्रीमियम या छूट तथा सम्बन्धित या प्रासंगिक मामले, भारत में स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीकरण जो बोर्ड के पूर्ण विवेकाधिकार के अन्तर्गत संगत पाया जाए, को अभिनिर्धारित करने के लिये बोर्ड प्राधिकृत है और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।”

“यह भी संकल्प लिया जाता है कि ऐसे वे शेयर जो सब्सक्राइब नहीं हुए, का निपटान बोर्ड के पूर्ण विवेकाधिकार द्वारा इस प्रकार किया जाए, जैसा बोर्ड उचित समझे और विधिसम्मत हो।”

“यह भी संकल्प लिया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी किए जाने के प्रयोजनार्थ निदेशक मंडल निर्गम को जारी करने हेतु ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले तथा चीजें करने, जिसे निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित, वांछित अथवा समुचित समझे तथा इस संबंध में किसी भी प्रश्न, कठिनाई अथवा शंका के समाधान हेतु और साथ ही सभी दस्तावेजों तथा लेखन जैसे आवश्यक, वांछनीय अथवा उचित समझे ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें जिसे वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित अथवा वांछनीय समझे, शेयरधारकों की और किसी सहमति अथवा अनुमोदन की मांग अथवा प्राधिकृत किए बिना यह मानते हुए कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार के माध्यम से स्पष्ट रूप से अपना अनुमोदन दिया है, करने हेतु एतद्वारा प्राधिकृत है एवं किया जाता है।”

“यह भी संकल्प लिया जाता है कि निदेशक मंडल उपर्युक्त संकल्पों को प्रभावी करने के प्रयोजनार्थ अपनी किसी शक्ति अथवा समस्त शक्तियां बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में किसी कार्यपालक निदेशक/(कों) अथवा बैंक के ऐसे अन्य अधिकारी(यों) जिन्हें यह उक्त संकल्पों को प्रभावी करने के लिए उपयुक्त माने, को प्रत्यायोजित करने हेतु एतद्वारा प्राधिकृत है तथा किया जाता है।”

निदेशक मंडल के आदेश से

(राकेश सेठी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 09 फरवरी, 2015



c) the Relevant Date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 as amended.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the issue and allotment of new equity shares to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors pursuant to this resolution shall be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the new equity shares to be issued pursuant to this resolution shall be subject to the Allahabad Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999 as amended, and shall rank in all respects *pari passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the offer, including the class of investors to whom the equity shares are to be allotted, the number of shares to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as it may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the , issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the shareholders and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares are to be allotted, number of shares to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue, number of equity shares, premium or discount on issue and related or incidental matters, listings on stock exchanges in India, as the Board in its absolute discretion deem fit.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** such of those shares as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner as the Board may deem fit and as permissible by law.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director or in his/her absence to any of the Executive Director/(s) or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolutions.”

By order of the Board of Directors

(Rakesh Sethi)

Chairman and Managing Director

Place : Kolkata

Date : 09th February, 2015



टिप्पणी :

1. व्याख्यात्मक विवरण :

बैंक में की जाने वाली कार्यवाही(हियों) से संबंधित तथ्यात्मक सूचनाओं पर व्याख्यात्मक विवरण एतद्वारा संलग्न किया जाता है और यह नोटिस का भाग है।

2. मताधिकार

बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) की धारा 3 की उपधारा (2ई) के संदर्भ में, केन्द्र सरकार के अतिरिक्त समरूपी नये बैंक का कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत के अतिरिक्त में उसके द्वारा रखे गये किसी शेयर के सम्बन्ध में मताधिकार का उपयोग करने हेतु हकदार नहीं होगा।

उपर्युक्त शर्तों के अधीन, प्रत्येक शेयरधारक जो नियत तिथि/रिकार्ड तिथि अर्थात् शुक्रवार, 06 फरवरी, 2015 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, बैंक (निर्वाचन) के तीन शेयरधारक निदेशकों के निर्वाचन में सहभागिता करने (नामित करने, लड़ने तथा मत देने) हेतु पात्र होगा और कार्यसूची की मदों पर मत देने के लिये नियत तिथि/रिकार्ड तिथि को यथास्थिति उसके द्वारा रखे गये प्रत्येक शेयर हेतु उसे एक वोट का अधिकार होगा।

यथासंशोधित, इलाहाबाद बैंक (शेयर एवं बैंकें) विनियम, 1999 के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम में है, तो जहां तक मतदान का प्रश्न है, रजिस्टर में प्रथम नाम के रूप में अंकित व्यक्ति शेयर के संपूर्ण धारक के रूप में समझा जाएगा। इस प्रकार, यदि शेयरों को संयुक्त धारकों के नाम में रखा गया है, तो प्रथम नाम के रूप में अंकित व्यक्ति ही केवल बैंक में उपस्थित होने के लिये पात्र है और मात्र वही बैंक में नामित करने, लड़ने एवं मत देने हेतु पात्र है।

3. परोक्षी की नियुक्ति

बैंक में उपस्थित होने और मतदान करने के हकदार शेयरधारक को परोक्षी नियुक्त करने का भी हक है जो उसकी ओर से बैंक में उपस्थित हो और मतदान करे और ऐसे परोक्षी का बैंक का शेयरधारक होना अनिवार्य नहीं है।

तथापि, इस प्रकार नियुक्त परोक्षी को बैंक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

परोक्षी फार्म के प्रभावी होने के लिए उसका बैंक की तिथि से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् बुधवार, 04 मार्च, 2015 को बैंक के व्यावसाय समय की समाप्ति पर या उससे पहले अर्थात् अपराह्न 05.00 बजे तक बैंक के शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता में प्राप्त हो जाना आवश्यक है। कृपया नोट करें कि इलाहाबाद बैंक (शेयर एवं बैंकें) विनियम, 1999 के अनुसार इलाहाबाद बैंक के किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी को परोक्षी नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई व्यक्ति, किसी निगमित निकाय, जो बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक बैंक में उपस्थित नहीं हो सकेगा अथवा मतदान नहीं कर सकेगा जब तक कि विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसकी नियुक्ति करने वाले संकल्प की प्रति, उस बैंक, जिसमें उसे पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा सत्यापित प्रति के रूप में प्रमाणित नहीं की गई है, बैंक के प्रधान कार्यालय में शेयर विभाग, इलाहाबाद बैंक, 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700001, में असाधारण आम सभा की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् बुधवार, 04 मार्च, 2015 को बैंक के व्यवसाय समय की समाप्ति पर या उससे पहले अर्थात् अपराह्न 05.00 बजे तक बैंक के शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता में जमा की गयी हो। कृपया नोट करें कि यथासंशोधित इलाहाबाद बैंक (शेयर एवं बैंकें) विनियम, 1999 के अनुसार इलाहाबाद बैंक के किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी को परोक्षी नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

5. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र-सह-मतपत्र पास

शेयरधारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र-सह-मत पत्र पास इस सूचना पत्र के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/परोक्षी(यों)/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इसे भर लें तथा इसमें यथास्थान हस्ताक्षर कर इसे बैंक स्थल पर प्रस्तुत करें।

6. रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट से सम्पर्क :

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि पंजीकृत पते सम्बन्धी किसी प्रकार के परिवर्तन, अंतरण/प्रेषण हेतु अनुरोध, यदि कोई हो, आदि कोई सूचना देने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आर.टी.ए.) से निर्मांकित पते पर सम्पर्क करें :

मै. एम.सी.एस. लिमिटेड

(यूनिट इलाहाबाद बैंक)

77/2ए, हाजरा रोड

कोलकाता-700029

टेलीफोन : 033-40724051-54

फैक्स : 033-24541961/40724050

ई-मेल: mcskol@rediffmail.com, allahabadbank.grievance@yahoo.co.in



NOTES:

1. EXPLANATORY STATEMENT(S)

The Explanatory Statement (s) setting out the material facts in respect of the business (es) of the meeting is annexed hereto and form part of the Notice.

2. VOTING RIGHTS

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.**

Subject to the above, each shareholder who has been registered as a shareholder on the **Cut-off Date/Record Date** i.e. on **Friday, the 6th February, 2015** will be entitled to participate (to nominate, contest and vote) in the Election of three Shareholder Directors of the Bank (Elections) and shall have one vote for each share held by him/her as on the **Cut-Off Date/ Record Date** to vote on the item on the agenda.

As per Regulation 10 of the Allahabad Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, as amended, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are held in the names of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to nominate, contest and vote in the meeting.

3. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/ HERSELF AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the meeting.

The proxy form in order to be effective must be received by the Bank at its Share Department, Head Office, 2, Netaji Subhas Road, Kolkata- 700001 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Meeting i.e. on or before the close of business hours of the Bank i.e. upto 05.00 p.m. on Wednesday, the 04th March, 2015. Please note that any employee or officer of Allahabad Bank cannot be appointed as proxy as per provisions of Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999.

4. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of any Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Head Office of the Bank with Share Department, Allahabad Bank, 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001 not less than FOUR DAYS before the date of the Meeting i.e. on or before the close of business hours of the Bank i.e. upto 05.00 p.m. on Wednesday, the 04th March, 2015. Please note that an employee or officer of Allahabad Bank cannot be appointed as authorized representative as per provisions of Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999, as amended.

5. ATTENDANCE SLIP-CUM- ENTRY PASS-CUM-BALLOT PAPER PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum -Entry Pass-cum-Ballot Paper Pass is annexed to this Notice. Shareholders/Proxy (ies)/Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue.

6. COMMUNICATION WITH REGISTRAR AND SHARE TRANSFER AGENT

The Shareholders holding shares in physical form, are requested to approach the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Bank, to intimate changes, if any, in their registered address, lodge transfer/transmission request (s) at the following address:-

M/s MCS Limited
(Unit: Allahabad Bank)
77/2A, Hazra Road
Kolkata-700029
Tel : 033-40724051-54
Fax: 033-24541961/40724050
E-mail:mcskol@rediffmail.com, allahabadbank.grievance@yahoo.co.in



ऑन लाइन पूछताछ/शिकायत के लिए बैंक के शेयरधारक मै. एम.सी.एस. लिमिटेड की वेबसाइट यानी www.mcsdel.com पर लॉग इन कर अपने प्रश्न/शिकायत, यदि कोई हो, दर्ज कराने के लिए इनवेस्टर सर्विसेज पर क्लिक कर सकते हैं।

शेयरधारकों को त्वरित एवं सक्षम सेवा प्रदान करने के लिए इलाहाबाद बैंक द्वारा अपने प्रधान कार्यालय, कोलकाता में एक निवेशक शिकायत कक्ष स्थापित किया गया है तथा किसी प्रकार की सहायता के लिए शेयरधारक तथा निवेशक उक्त कक्ष से निर्मांकित पतों पर सम्पर्क कर सकते हैं :

महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), सी.एफ.ओ. एवं अनुपालन अधिकारी इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001 टेलीफोन नम्बर : 033-22104018 फैक्स नम्बर : 033- 22104050 ई-मेल : gmfa@allahabadbank.in	वरिष्ठ प्रबन्धक शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001 टेलीफोन नम्बर : 033-22420878 फैक्स नम्बर : 033- 22623279 ई-मेल : investors.grievance@allahabadbank.in
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. नियत तिथि (रिकॉर्ड तिथि)

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा (3) (i) तथा अन्य प्रयोज्य विधि, नियम, विनियम, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों एतद्संबंधी भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुक्रम में केन्द्र सरकार से इतर बैंक के शेयरधारकों में से निदेशकों के निर्वाचन में शेयरधारकों की सहभागिता (नामांकित, चुनाव लड़ने तथा मतदान) की पात्रता के निर्धारण के प्रयोजनार्थ और असाधारण आम सभा की कार्यसूची मर्दों पर उनके मताधिकार के प्रयोग हेतु बैंक द्वारा नियत तिथि (रिकॉर्ड तिथि) शुक्रवार, 06 फरवरी, 2015 निर्धारित की गई है।

8. ई-वोटिंग के माध्यम से, वोट देने के अधिकार का प्रयोग

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्धता करार की उप धारा 35 बी एवं कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 18, 20 एवं 21 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के परिपत्र संख्या : CIR/CFD/POLICY CELL/2/2014 दिनांक : 17.04.2014 द्वारा यथासंशोधित के अंतर्गत, बैंक में सम्मिलित हो सकने तथा वोट का हक रखने वाले शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने वोटिंग अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

ई-वोटिंग वैकल्पिक है। शेयरधारकों/हितकारक स्वामित्वयुक्त व्यक्तियों के ई-वोटिंग अधिकारों का आकलन उनके द्वारा यथास्थिति शुक्रवार, 06 फरवरी, 2015 (उद्देश्यार्थ नियत तिथि/रिकॉर्ड तिथि) को धारित ईक्विटी शेयरों से किया जाएगा।

ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए बैंक द्वारा मै. नेशनल सिक्वोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएस.डी.एल.) को नियुक्त किया गया है।

9. ई-वोटिंग के लिए जाँचकर्ता :

ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप में संचालित करने के लिए मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कं., पेशेवर कम्पनी सचिव को जाँचकर्ता नियुक्त किया गया है।

10. ई-वोटिंग की प्रक्रियाविधि एवं प्रणाली

- शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार बैंक की चुकता ईक्विटी शेयर पूँजी के अंतर्गत उनके द्वारा यथास्थिति शुक्रवार, 06 फरवरी, 2015 (उद्देश्यार्थ नियत तिथि/रिकॉर्ड तिथि) को धारित शेयरों के अनुपात में होंगे।
- वोटिंग का समय बुधवार, 04 मार्च, 2015 को प्रातः 10.00 बजे से प्रारंभ होगा तथा शुक्रवार, 06 मार्च, 2015 को अपराह्न 05.00 बजे समाप्त हो जाएगा। एन.एस.डी.एल. द्वारा ई-वोटिंग मोड्यूल को उसी दिन अपराह्न 05.00 बजे निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
- यदि आप ई-वोटिंग के लिए एन.एस.डी.एल. में पहले से ही पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट डालने के लिए अपनी मौजूदा बोट आई.डी. एवं पासवर्ड प्रयोग कर सकते हैं।
- प्रारंभिक पासवर्ड तथा यूजर आई.डी. उक्त नोटिस के साथ भेजे जा रहे हैं।
- निर्मांकित URL को टाइप करते हुए इंटरनेट ब्राउजर को लॉन्च करें : <https://www.evoting.nsdl.com>
- शेयरहोल्डर-लॉग इन पर क्लिक करें।
- यूजर आई.डी. एवं प्रारंभिक पासवर्ड के बतौर पासवर्ड डालें तथा लॉग इन क्लिक करें।
- पासवर्ड चेंज मेन्यू सामने आएगा। अपनी पसन्द के 8 डिजिट/कैरेक्टर वाले या उनके कोम्बिनेशन वाले किसी नये पासवर्ड से उक्त पासवर्ड को बदल दें। नये पासवर्ड को नोटकर लें/याद रखें।
- स्पष्ट परामर्श दिया जाता है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न दें तथा अपने पासवर्ड की गोपनीयता के प्रति समुचित सावधानी बरतें।
- ई-वोटिंग का होम पेज खुलकर आएगा। ई-वोटिंग : एक्टिव वोटिंग साइकिल्स पर क्लिक करें।
- इलाहाबाद बैंक का ई-वोटिंग एवेन्ट नंबर 'EVEN' का चयन करें।



For on-line queries/grievance, shareholders of the Bank may login on the website of M/s MCS Limited i.e. www.mcsdel.com and click on investor services to register their queries/grievance, if any.

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, Allahabad Bank has set up Investors' Grievances Cell at its Head Office, Kolkata. Shareholders and investors may contact this Cell at the under mentioned addresses for any assistance:

The General Manager (F&A),CFO and Compliance Officer Allahabad Bank, Head Office 2, Netaji Subhas Road, Kolkata- 700 001 Telephone No. -033-22104018 Fax No.-033- 22104050 E-mail - gmfa@allahabadbank.in	The Senior Manager Share Deptt. & Investors' Grievance Cell Head Office 2, Netaji Subhas Road, Kolkata- 700 001 Telephone No.033-22420878 Fax No. 033- 22623279 Email- investors.grievance@ allahabadbank.in
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. CUT-OFF DATE (RECORD DATE)

The Bank has fixed Friday, the 06th February, 2015 as the Cut-off Date (Record Date) for the purpose of ascertaining eligibility of the shareholders to participate (nominate, contest and vote) in the election of Directors from amongst the shareholders of the Bank other than the Central Government pursuant to Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and other applicable laws, rules, regulations, Reserve Bank of India Guidelines and Govt. of India Guidelines in this regard and to exercise their voting rights on the agenda items of the Extraordinary General Meeting.

8. EXERCISE OF VOTING RIGHTS THROUGH E-VOTING

In terms of Clause 35B of the Listing Agreement with Stock Exchanges as amended vide SEBI circular No. CIR/CFD/POLICY CELL/2/2014 dated 17.04.2014 read with Rule 18, 20 and 21 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, shareholders entitled to attend and vote at the meeting, can exercise their voting rights through electronic voting.

E-Voting is optional. The E-Voting rights of the shareholders/beneficial owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on Friday, the 06th February, 2015 (Cut-off Date/Record Date fixed for the purpose).

The Bank has appointed M/s National Securities Depository Limited (NSDL) as agency for providing the e-voting platform.

9. SCRUTINIZER FOR E-VOTING

The Bank has appointed M/s S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Practising Company Secretary as the Scrutinizer for conducting the E-Voting process in a fair and transparent manner.

10. PROCESS AND MANNER FOR E-VOTING

- (i) The voting rights of Shareholders shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on Friday, the 06th February, 2015 (Cut-off Date/Record Date fixed for the purpose).
- (ii) The voting period will commence at 10.00 a.m. on Wednesday, the 04th March, 2015 and will end at 5.00 p.m. on Friday, the 06th March, 2015.
The e-voting module shall also be disabled by NSDL at 5.00 p.m. on the same day.
- (iii) If you are already registered with NSDL for e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.
- (iv) Initial password and User ID are being sent along with the Notice.
- (v) Launch internet browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/>
- (vi) Click on Shareholder - Login.
- (vii) Insert user ID and password as initial password and click Login.
- (viii) Password change menu will appear. Change the password with new password of your choice with minimum 8 digits/characters or combination thereof. Note/Remember new password.
- (ix) It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (x) Home page of e-Voting opens. Click on e-Voting: Active Voting Cycles.
- (xi) Select "E-Voting Event Number (EVEN)" of Allahabad Bank.



- (xii) अब कास्ट वोट पेज खुलकर आएगा तथा अब आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
- (xiii) सही विकल्प चयन करते हुए अपना वोट डालें तथा 'SUBMIT' पर क्लिक करें तथा प्रॉम्प्ट होने पर 'CONFIRM' को भी क्लिक करें।
- (xiv) पुष्टि होने पर 'VOTE CAST SUCCESSFULLY' मैसेज सामने आएगा।
- (xv) संकल्प पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद, आपको अपना वोट आशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।
- (xvi) सांस्थानिक शेयरधारकों (यानी व्यक्तियों, संयुक्त हिन्दु परिवार, अनिवासी भारतीय आदि) से अपेक्षित है कि वे सम्बन्धित बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन की हुई प्रतिलिपि यथाविधि प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/ओं जो कि वोट डालने के लिए प्राधिकृत हैं, के सत्यापित नमूना हस्ताक्षरों सहित evoting@nsdl.co.in को प्रतिलिपि देते हुए ई-मेल के माध्यम से scrutinizer@snaco.net पर तथा जाँचकर्ता को भेजें।
- (xvii) एकाधिक फोलिओ/डीमैट खाते रखने वाले शेयरधारक प्रत्येक फोलिओ/डीमैट खाते हेतु अलग अलग वोटिंग प्रक्रिया का चयन करेंगे। तथापि, शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) के अनुसार भारत सरकार के अलावा किसी भी शेयरधारक को बैंक की कुल शेयरहोल्डिंग के 10% से अधिक के वोटिंग अधिकार का प्रयोग कर सकने की अनुमति नहीं है।
- (xviii) कृपया नोट करें कि एक बार वोट डाल देने के उपरांत आप असाधारण आम सभा में न तो अपना वोट आशोधित कर सकते हैं और न ही मतदान में मत दे सकते हैं। तथापि, आप बैठक में भाग ले सकते हैं तथा चर्चा, यदि कोई हो, में शामिल हो सकते हैं।
- (xix) किसी प्रकार के किसी प्रश्न के लिए आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध शेयरधारकों द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) एवं शेयरधारकों हेतु ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं।
- (xx) आप फोलिओ के यूजर प्रोफाइल डिटेल्स के अंतर्गत अपना मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई.डी. भी अद्यतन कर सकते हैं जिसका प्रयोग भावी पत्र-व्यवहार(रों) के लिए किया जाएगा।

11. असाधारण आम सभा के स्थल पर वोटिंग/पोलिंग :

ई-वोटिंग के अलावा, उनके लिए जिन्होंने ई-वोटिंग के विकल्प का प्रयोग नहीं किया है, मतदान द्वारा भी वोटिंग की जाएगी। इस सम्बन्ध में घोषणा किए जाने के तुरंत बाद बैलेट पेपर/रों का जारी किया जाना आरम्भ हो जाएगा तथा अपराह्न 01.00 बजे तक जारी रहेगा। उपस्थिति पंजीकरण के समय जारी/नोटिस के साथ प्रेषित पास प्रस्तुत किए जाने पर शेयरधारकों/परोक्षीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को बैलेट पेपर, तदहेतु बनाए गए काउंटर्सों से ही जारी किए जाएंगे। वोटों की संख्या नियत तिथि/रिकॉर्ड तिथि अर्थात् शुक्रवार, 06 फरवरी, 2015 को उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या के बराबर ही होगी।

शेयरधारक मत पत्र में अपनी पसंद के तीन उम्मीदवारों के नाम के आगे संगत कॉलम में रबड़ स्टाम्प लगा कर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। नोटिस की कार्यसूची मद संख्या 2 एवं 3 के संबंध में मताधिकार के प्रयोग हेतु अलग मत पत्र उपलब्ध रहेगा।

तत्पश्चात् मतगणना शुरू की जाएगी और बैठक में आयोजित मतदान एवं ई-वोटिंग के माध्यम से प्राप्त कुल वोटों के आधार पर सभा के अध्यक्ष अंतिम परिणाम की घोषणा करेंगे।

ई-वोटिंग के परिणामों का योग कर मतदान का परिणाम बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा और स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् एन.एस.ई एवं बी.एस.ई. को भी इसकी सूचना दी जाएगी।

मतदान एवं निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया बैंक द्वारा नियुक्त किए गए निर्वाचन अधिकारी, बैंक द्वारा उपरोक्त उद्देश्य के लिए नियुक्त किए गए स्वतंत्र सलाहकार (जाँचकर्ता) द्वारा संचालित की जाएगी तथा इसका पर्यवेक्षण केन्द्रीय सरकार के नामिती जो कि पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करेगा, द्वारा किया जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेश से

(राकेश सेठी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 09 फरवरी, 2015



- (xii) Now you are ready for e-Voting as Cast Vote page opens.
- (xiii) Cast your vote by selecting appropriate option and click on “Submit” and also “Confirm” when prompted.
- (xiv) Upon confirmation, the message “Vote cast successfully” will be displayed.
- (xv) Once you have voted on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xvi) Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority Letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail at scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.
- (xvii) Shareholders holding multiple folios/demat accounts shall choose the voting process separately for each folio/demat account. However, shareholders may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder other than the Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.
- (xviii) Kindly note that once you have cast your vote you cannot modify or vote on poll at the Extraordinary General Meeting. However, you can attend the meeting and participate in the discussions, if any.
- (xix) In case of any query, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com.
- (xx) You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).

11. VOTING/POLLING AT THE VENUE OF EGM

Apart from e-voting, the voting shall also be done by Poll for those who have not exercised their option of e-voting. The issue of Ballot Paper/s will commence immediately after an announcement in this regard is made and continue upto 1.00 p.m. Ballot Papers shall be issued at the counters set up for this purpose to the Shareholders/ Proxyholders/Authorized Representatives on surrender of Ballot Paper Pass sent with the Notice/issued at the time of attendance registration. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them as on the Cut-off Date/Record Date i.e. Friday, the 6th February, 2015.

The Shareholders may exercise their right by affixing a rubber stamp in the relevant column against the names of three candidates of their choice in the Ballot Paper. Separate Ballot Papers will be available for exercising the right with respect to Agenda item Nos. 2 and 3 of the Notice. Ballot Papers may be dropped in the Ballot Box(es) kept for the purpose.

The counting of votes would be taken up thereafter and the Chairman of the meeting will announce the final results based on the aggregate of votes secured through e-voting and poll conducted at the meeting.

The Results of the poll aggregated with the results of e-voting will be hosted on Bank's website and shall also be informed to the stock exchanges i.e. NSE & BSE.

The entire process of Poll and Election would be conducted by the Returning Officer appointed by the Bank, an Independent Consultant (Scrutinizer) to be appointed for the said purpose by the Bank and would be overseen by the Central Government Nominee who will act as an Observer.

By order of the Board of Directors

(Rakesh Sethi)

Chairman and Managing Director

Place : Kolkata

Date : 09th February, 2015



व्याख्यात्मक विवरण

मद सं. 1 :

तीन शेयरधारकों का चयन :

वर्तमान में बैंक की 58.90% चुकता पूंजी भारत सरकार के पास है तथा बैंक की सार्वजनिक शेयरधारिता 41.10% है। अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अनुसार बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकतम तीन निदेशक (केन्द्र सरकार के अलावा) होने चाहिए।

शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करनेवाले तीन निदेशकों (केन्द्र सरकार से इतर)को उनकी नियुक्ति की तिथि/निर्वाचन की मान्यताप्राप्त तिथि से तीन वर्षों की अवधि हेतु निर्वाचन के प्रयोजनार्थ शेयरधारकों की एक असाधारण आम सभा (ईजीएम) 14.02.2012 को आहूत की गई थी।

चूंकि, शेयरधारकों के प्रतिनिधि निदेशकों की तीन रिक्तियों के सापेक्ष मात्र तीन वैध नामांकन प्राप्त हुए थे, सभी तीन उम्मीदवारों अर्थात् डॉ. सुदीप चौधरी, श्री अशोक विज और श्री ए. पी. वी. एन. शर्मा को 10.02.2012 से 09.02.2015 तक तीन वर्षों की अवधि हेतु बैंक के निदेशक के रूप में पुनर्निर्वाचित किया गया/निर्वाचित माना गया। तदनंतर, श्री ए. पी. वी. एन. शर्मा ने 18.11.2014 के अपने पत्र के माध्यम से तत्काल प्रभाव से अर्थात् 18.11.2014 से बैंक के निदेशक पद से त्यागपत्र दे दिया।

श्री ए. पी. वी. एन. शर्मा के त्यागपत्र के कारण हुई रिक्ति तथा 09.02.2015 को दो मौजूदा शेयरधारक निदेशकों के कार्यकाल की समाप्ति के कारण होनेवाली रिक्तियों को भरे जाने के उद्देश्य से और बैंक की चुकता पूंजी के 32% से अधिक बैंक की सार्वजनिक शेयरधारिता बने रहने के कारण बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन निदेशकों (केन्द्र सरकार से इतर) के निर्वाचन हेतु बैंक द्वारा असाधारण आम सभा बुलाई गई है।

अतएव, शेयरधारक (केन्द्र सरकार के अलावा) संगत अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना/भारत सरकार के दिशानिर्देशों/संगत उद्धरणों/अंशों जो अन्यत्र भी पुनर्प्रस्तुत किए गए हैं, में विहित प्रक्रियाविधि के अनुसार अपना नामांकन भेजने हेतु पात्र हैं। बैंक के शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत नामांकन की संवीक्षा तथा बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा उनके उपयुक्त एवं समुचित प्रास्थिति के निर्धारण अथवा असाधारण आमसभा में परवर्ती निर्वाचन के आधार पर तीन निदेशकों तक चयन किया जाएगा।

इस प्रक्रिया द्वारा निर्वाचित निदेशक, निर्वाचित माने जाने की अगले दिन अथवा बुधवार 11 मार्च, 2015, जो भी मामला हो, को कार्यग्रहण करेंगे और वे ऐसे कार्यग्रहण की तिथि से तीन वर्षों की अवधि हेतु इस पद पर बने रहेंगे।

विधिक प्रावधान

इस विषय से संबंधित विभिन्न अधिनियम/योजना/विनियमन/अधिसूचना के प्रावधान नीचे तालिका में दिए गए हैं :-

अधिनियम/योजना/ विनियमन/ अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 5 (एनई) धारा 16 (1) धारा 20	<ul style="list-style-type: none">➤ महत्वपूर्ण लाभ➤ उभयनिष्ठ निदेशकों का निषेध➤ बैंक के किसी भी निदेशक की ओर से ऋण या अग्रिम की स्वीकृति पर प्रतिबंध
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3 (2ई) धारा 9(3)(i) धारा 9(3ए) (ए) से (सी) धारा 9(3एए) एवं धारा 9(3एबी) धारा 9(3बी) धारा 13(2)	<ul style="list-style-type: none">➤ वोट देने के अधिकार पर प्रतिबंध➤ शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या➤ कतिपय विषयों में विशेष ज्ञान➤ कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा/होगी जब तक कि उसे भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित ट्रैक रिकार्ड, सत्यनिष्ठा के मानदंड पर उपयुक्त नहीं पाया जाता➤ ऐसे चुने गए निदेशक को, जो उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) व 9(3एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें हटाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का अधिकार➤ निष्ठा एवं गोपनीयता बरतने संबंधी कर्तव्य
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970	खंड 9(4) खंड 10 खंड 11 खंड 11ए खंड 11बी खंड 12(8)	<ul style="list-style-type: none">➤ निर्वाचित निदेशकों का कार्यकाल➤ बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने की अयोग्यताओं के बारे में➤ निदेशक का पद रिक्त होना➤ निर्वाचित निदेशक को पद से हटाया जाना➤ निर्वाचित निदेशक के पद पर आकस्मिक रिक्ति भरा जाना➤ निदेशकों की रुचि वाले कतिपय मामलों का निदेशकों द्वारा प्रकटीकरण



EXPLANATORY STATEMENT (S)

ITEM NO. 1

Election of Three Shareholders' Directors:

At present, 58.90% of the paid up capital of the Bank is held by the Central Government and the public shareholding in the Bank is 41.10%. As per Section 9(3)(i) of the Act, Allahabad Bank should have a maximum of three directors representing shareholders of the Bank (other than the Central Government).

An Extraordinary General Meeting (EGM) of shareholders was called on 14.02.2012 for the purpose of election of three directors representing shareholders (other than Central Govt.) for a period of three years from their date of appointment/deemed date of election.

As only three valid nominations were received against the three vacancies of directors representing shareholders, all the three contestants namely, Dr. Sudip Chaudhuri, Shri Ashok Vj, and Shri A.P.V.N. Sarma were deemed to have been elected/re-elected as the director of the Bank for a period of three years i.e. from 10.02.2012 to 09.02.2015. Subsequently, Shri A.P. V. N. Sarma vide his letter dated 18.11.2014 resigned from the directorship of the Bank with immediate effect i.e. with effect from 18.11.2014.

With a view to fill the vacancy caused by the resignation of Shri A.P.V.N. Sarma and the vacancies that will be caused due to the expiry of the tenure of the two existing Shareholders' Directors on 09.02.2015 and as the public shareholding in the Bank continues to be more than 32% of the paid up capital of the Bank, an Extraordinary General Meeting of the Bank has been called for election of upto three directors representing shareholders (other than the Central Government)of the Bank.

The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in relevant Act/ Regulation Act/Scheme/ Regulations/Notification/Directions from the Central Government, the relevant extracts/portions of which have been reproduced elsewhere. Upto three Directors will be elected either after the scrutiny of the nominations which the shareholders submit to the Bank and determination of their Fit & Proper Status by the Nomination Committee of the Board or subsequent election at the Extraordinary General Meeting.

A Director so elected shall assume office from the day next they are deemed to be elected or Wednesday, the 11th March, 2015 as the case may be and will hold office for a period of three years from the date of such assumption.

LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/ Regulation/ Scheme/Notifications applicable in this regard:

ACT/SCHEME/ REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (ne) Section 16 (1) Section 20	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Substantial Interest ➤ Prohibition of common Directors ➤ Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9(3A) (A) to (C) Section 9(3AA) & Section 9(3AB) Section 9(3B) Section 13(2)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Restriction on voting rights ➤ No. of directors to be elected by the shareholders ➤ Special knowledge in certain fields ➤ No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe. ➤ Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. ➤ Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Term of office of elected directors ➤ Disqualifications from being elected as a Director of the Bank ➤ Vacation of office of Director ➤ Removal from office of an elected Director ➤ Filling of casual vacancy in the office of an elected Director ➤ Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.



अधिनियम/योजना/ विनियमन अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
इलाहाबाद बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1999 यथासंशोधित	विनियम 10 विनियम 61 विनियम 63 विनियम 64 विनियम 65 विनियम 66 विनियम 67 विनियम 68 विनियम 69 विनियम 70	<ul style="list-style-type: none"> ➤ संयुक्त धारकों के अधिकारों का उपयोग ➤ आम सभा में वोट देना ➤ आम सभा में निर्वाचित होने वाले निदेशक ➤ शेयरधारकों की सूची ➤ निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों का नामांकन ➤ नामांकनों की जाँच ➤ चुनाव विवाद ➤ वोटिंग अधिकारों का निर्धारण ➤ विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा वोट किया जाना ➤ परोक्षी
भा.रि.बैं. अधिसूचना क्रमांक डीबीओडी सं. बीसी सं. 46 एवं 47/29.39.001/ 2007-08 दिनांक 01.11.2007 एवं सं. डीबीओडी. बीसी. सं. 95/ 29.39.001/ 2010-11 दिनांक 23.05.2011	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3एए) तथा 9(3एबी) के अनुसरण में	राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के लिए उपयुक्तता मानदंड
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी संदर्भ सं. 16/83/2013- बीओ-I पत्र दिनांक 3 सितंबर, 2013, और दिनांक 01.06.2011 का अंशकालिक अशासकीय निदेशकों के चयन संबंधी दिशानिर्देश		सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अंशकालिक गैर शासकीय कार्यालयीन निदेशकों की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश
भा. रि. बैं मास्टर परिपत्र दिनांक 1 जुलाई 2014 मास्टर परिपत्र डीबीओडी सं. डीआईआर. बीसी. 16/ 13.03.00/ 2014-15 दिनांक 1 जुलाई, 2014		निदेशकों के संबंधियों को ऋण एवं अग्रिम की स्वीकृति

शेयरधारकों की सुविधा के लिए अधिनियम, विनियमन अधिनियम, योजना/विनियमन के साथ ही साथ भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीओडी. बीसी. नं. 46 तथा 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवंबर 2007 तथा डीबीओडी. बीसी. नं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 तथा भारत सरकार के दिशा-निर्देश के सारांश बैंक की वेबसाइट www.allahabadbank.in पर प्रदर्शित किए जाएंगे। ऐसे सारांश इच्छुक प्रत्याशियों को, उनके द्वारा नामांकन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि अर्थात् सोमवार, 23 फरवरी, 2015 को अथवा उससे पहले महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) सीएफओ एवं अनुपालन अधिकारी, इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय, 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700001 के पास अनुरोध प्राप्त होने पर ई-मेल द्वारा भी भेजे जा सकते हैं।

चुनाव में भागीदारी :

जैसा कि पहले ही दर्शाया गया है कि ऐसे शेयरधारक जिनके नाम **नियत/रिकॉर्ड तिथि** अर्थात् शुक्रवार, 06 फरवरी, 2015 को भौतिक धारक की दशा में शेयरधारक रजिस्टर में अंकित है तथा अभौतिक धारक की दशा में एनएसडीएल/सीएसडीएल द्वारा प्रस्तुत हितधारकों की सूची में अंकित हैं, वे सभी (केंद्रीय सरकार को छोड़कर) निदेशकों के चुनाव में भाग लेने अर्थात् नामित करने, चुनाव लड़ने/वोट करने हेतु पात्र होंगे।



ACT/SCHEME/ REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
Allahabad Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, as amended	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Exercise of rights of joint holders ➤ Voting at General Meetings ➤ Directors to be elected at General Meetings ➤ List of Shareholders ➤ Nomination of candidates for election ➤ Scrutiny of nominations ➤ Election disputes ➤ Determination of voting rights ➤ Voting by duly authorized representative ➤ Proxies
RBI Notification No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/ 2007-08 dated 01.11.2007 and No. DBOD. BC.No. 95/ 29.39.001/ 2010-11 dated 23.05.2011	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Fit and Proper criteria for elected directors on the board of nationalized banks
Letter dated 3 rd September 2013 vide Ref F. No. 16/83/2013- BO.I issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services and Guidelines for Selection of Part-time Non- Official Director dated 01.06.2011		Guidelines for appointment of Part Time Non Official Directors in Public Sector Banks.
RBI Master Circular dated 1st July 2014 Master Circular DBOD. No. Dir. BC. 16/ 13.03.00/ 2014-15 dated July 1, 2014		Granting loans and advances to relatives of Directors

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from the Act, Regulation Act, the Scheme, Regulation, RBI Notifications No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/ 2010-11 dated 23.05.2011 and GOI Guidelines will be hosted in the Bank's website : www.allahabadbank.in. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the General Manager (F &A), CFO & Compliance Officer, Allahabad Bank, Head Office, 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700001 on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. Monday, the 23rd February, 2015.

PARTICIPATION IN ELECTION

As already indicated earlier, such of those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders for those holding in physical mode / Beneficial Owners as furnished by NSDL/CDSL for those holding in Demat mode, as on the **Cut- Off/Record Date** i.e., on Friday, 6th February, 2015, shall be entitled to participate i.e. nominate, contest and vote in election of directors from amongst Shareholders other than the Central Government.



बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु अपेक्षित योग्यता :

अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार बैंक के किसी शेयरधारक और धारा 9(3)(i) के तहत बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के इच्छुक प्रत्याशी को :

ए. निम्नलिखित में से किसी एक अथवा एक से अधिक विषय में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए :

- i. कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- ii. बैंकिंग
- iii. सहकारिता
- iv. अर्थशास्त्र
- v. वित्त
- vi. विधि
- vii. लघु उद्योग
- viii. किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव, जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी हो।

बी. जो जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो, अथवा

सी. किसानों, कामगारों एवं शिल्पकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो।

अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 9 (3) (i) के अंतर्गत निदेशक के रूप में निर्वाचन हेतु तब तक पात्र नहीं होगा जब तक इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर अधिसूचित ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा एवं अन्य ऐसे मानदंड के आधार पर 'उपयुक्त एवं समुचित' हैसियत वाला व्यक्ति न हो।

भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीओडी नं. बीसी नं. 46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दिनांकित 01.11.2007 की शर्तों के अनुसार बैंक का कोई शेयरधारक उम्मीदवार जो बैंक का निदेशक बनने का इच्छुक हो, उसे अधिसूचना में वर्णित मानदंड के अनुसार 'उपयुक्त एवं समुचित' हैसियत वाला व्यक्ति होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, निर्वाचित निदेशकों को संविदा विलेख निष्पादित करना होगा, बैंक की आचार संहिता के अध्यक्षीय होना होगा तथा उन्हें इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करना होगी।

बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने हेतु अयोग्यताएं :

(ए) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10 की शर्तों के अनुसार, कोई भी ऐसा व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने और निदेशक होने के लिए अयोग्य होगा-

- (i) यदि वह, किसी समय दिवालिया घोषित कर दिया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोकना हुआ हो या प्रशमन किया हो, अथवा
- (ii) यदि उसे विकृत दिमाग का पाया गया हो अथवा उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, अथवा
- (iii) यदि उसे फौजदारी न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किया गया हो, जिसमें नैतिक चरित्रहीनता भी शामिल है, अथवा
- (iv) यदि वह, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत गठित, भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथापरिभाषित किसी अनुषंगी लाभ का पद धारण करता है/करती है, सिवाए इसके कि वह अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (ई) और (एफ) के तहत बैंक के कर्मचारियों में से नामित किए गए प्रबंध निदेशक तथा निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशक का पद धारण करता है/करती है।

(बी) यदि वे भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना संख्या डीबीओडी सं. बीसी. सं. 46/29.39.001/2007-08 डीबीओडी सं. 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 तथा डीबीओडी. बी.सी. सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांकित 23.05.2011 के अनुसार बैंक के निदेशकों की नामांकन समिति द्वारा "उपयुक्त एवं समुचित" व्यक्ति नहीं पाए जाते हैं।

(सी) यदि वे निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए अंशकालिक गैर-शासकीय निदेशकों हेतु यथाप्रयोज्य भारत सरकार के दिनांक 01.06.2011 के दिशानिर्देश तथा शेयरधारक निदेशकों हेतु भी भारत सरकार के दिनांक 30.09.2013 के पत्र द्वारा प्रयोज्य बनाए गए दिशानिर्देशों या समय समय पर जारी ऐसे अन्य दिशानिर्देशों को अनुपालित नहीं करते हुए पाए जाते हैं।

शेयरधारकों की सूची :

जैसा कि इलाहाबाद बैंक (शेयर एवं बेटके) विनियमन, 1998 के विनियम 64 में वर्णित यथा संशोधित किया गया है, शेयरधारकों की सूची की एक प्रति (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अर्थात् सीडी या इस तरह के अन्य माध्यम में) बैंक के प्रधान कार्यालय में मंगलवार, 17 फरवरी, 2015 से उपलब्ध होगा और वह इलाहाबाद बैंक के पक्ष में कोलकाता में देय किसी अनुसूचित बैंक के ₹ 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) के मांग ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के द्वारा शेयरधारकों के लिए खरीद हेतु उपलब्ध होगी। इच्छुक अभ्यर्थी को उपर्युक्त सूची खरीदने के लिए एक अनुरोध पत्र : महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), सीएफओ एवं अनुपालन अधिकारी इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय, 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700001 को प्रस्तुत करना होगा तथा यह वचन पत्र देना होगा कि उक्त सूची का उपयोग चुनाव में प्रचार के लिए किया जाएगा तथा उसका कोई और उपयोग नहीं किया जाएगा।



QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall

- A. have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely:-
 - i. Agricultural and rural economy
 - ii. Banking
 - iii. Co-Operation
 - iv. Economics
 - v. Finance
 - vi. Law
 - vii. Small scale industry
 - viii. Any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank.
- B. Represents the interest of depositors; or
- C. Represents the interest of farmers, workers and artisans.

In terms of Section 9(3AA) of the Act, no person shall be eligible to be elected as Director under Section 9 (3) (i) of the Act, unless he is a person having 'Fit and Proper' status based on track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank of India may notify from time to time in this regard.

In terms of RBI Notifications No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007, a candidate being a shareholder of the Bank, who desires to be a Director of the Bank should have 'Fit and Proper' status as per criteria mentioned in the Notification.

Further, the elected Directors will have to execute deed of covenants, be subjected to Code of Conduct of the Bank and are required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

- (A) In terms of Clause 10 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:
 - i) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
 - ii) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
 - iii) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
 - iv) if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India, Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.
- (B) If he is not found to be 'Fit and Proper' person in terms of Notification of Reserve Bank of India-DBOD. No. BC. No. 46/29.39.001/2007-08, DBOD No. 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and DBOD.BC.No.95/ 29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 by the Nomination Committee of the Directors of the Bank.
- (C) If he is not found to be complying with the GOI Guidelines dated 01.06.2011 as applicable to Part-time Non-Official Directors and also made applicable to the shareholders' Directors vide GOI letter dated 03.09.2013, or such other directives as may be issued from time to time for being elected as a director.

LIST OF SHAREHOLDERS

As provided in Regulation 64 of the Allahabad Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, as amended, a copy of the List of Shareholders (in electronic form i.e. CD or such other media) will be available at Head Office of the Bank at 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700001, from Tuesday, the 17th February, 2015 onwards for purchase by Shareholders on payment of ₹ 50,000 (Rupees fifty thousand only) by Demand Draft/Inter Office Instrument/Pay Order of Scheduled Bank in favour of "Allahabad Bank" payable at Kolkata. The candidates desirous of purchasing the said list shall have to give a request letter addressed to "General Manager (F&A), CFO & Compliance Officer, Allahabad Bank, Head Office, 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700001 with an undertaking that the list will be used in canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever.



शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

शेयरधारकों का रजिस्टर, इलाहाबाद बैंक, शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, प्रधान कार्यालय, 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700001 में सभी कार्य दिवसों में सोमवार से शुक्रवार तक दोपहर 3.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक और शनिवार को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक शेयरधारकों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा।

यदि कोई शेयरधारक उपर्युक्त की प्रति या चयनित/अंश की कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित प्रति चाहता है तो उसे संबद्ध अंश के प्रत्येक 1000 शब्दों अथवा उसके भाग जिसकी प्रतियां निकाली जाती हैं, के लिए ₹ 5/- (रुपये पाँच मात्र) की दर से राशि का पूर्व भुगतान करने पर प्रदान किया जाएगा।

नामांकन

1. नामांकनों की वैधता :

यथासंशोधित इलाहाबाद बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 1999 के विनियम 65, भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 23.05.2011 की अधिसूचना सं. डीबीओडी. बीसी. सं. 95/23.39.001/2010-11 के साथ पठित दिनांक 01.11.2007 की अधिसूचना सं. डीबीओडी. बीसी. सं. 46 और 47/29.39.001/2007-08, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों पर यथाप्रयोज्य भारत सरकार के दिनांक 01.06.2011 के दिशानिर्देश जिसे भारत सरकार के दिनांक 03.09.2013 के पत्र के तहत शेयरधारक निदेशकों हेतु भी लागू किया गया है और निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जाने हेतु समय-समय पर जारी अन्य दिशानिर्देशों और विभिन्न अधिनियमों के प्रयोज्य प्रावधानों, दिशानिर्देशों, निर्देशों के अनुसार निदेशक के रूप में चयन हेतु अभ्यर्थी का नामांकन वैध होगा बशर्ते :

- (ए) निर्वाचन में सहभागिता हेतु शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण के प्रयोजन से निर्धारित नियत तिथि/रिकॉर्ड तिथि शुक्रवार, 6 फरवरी, 2015 को उसकी शेयरधारिता बैंक के 100 (एक सौ) शेयरो से कम न हो जोकि उसके पास बैठक की तिथि तक बने रहे और उसके बाद यदि वह निर्वाचित होता/होती है तो उसके कार्यकाल की समाप्ति तक न्यूनतम 100 शेयर उसके पास रहने चाहिए।
- (बी) नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि सोमवार, 23 फरवरी, 2015 को यथास्थिति वह अधिनियम/विनियम अधिनियम/योजना/विनियम/भारिबैं अधिसूचना/भारत सरकार के दिशानिर्देश के अंतर्गत निदेशक बनने के अयोग्य न हुआ हो।
- (सी) अधिनियम के अंतर्गत निदेशक चुनने के हकदार कम से कम एक सौ शेयरधारकों अथवा उनके द्वारा विधिवत गठित अटर्नी द्वारा लिखित रूप में हस्ताक्षरित नामांकन, बशर्ते शेयरधारक जो एक कंपनी है, का नामांकन उक्त कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा किया जाए और जहां ऐसा संकल्प किया जाता है वहां उस बैठक, जहां इसे पारित किया गया था के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित संकल्प की सही प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय को महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), सीएफओ एवं अनुपालन अधिकारी, प्रधान कार्यालय, 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700001 को संबोधित करते हुए प्रेषित/जमा की जाएगी।
- (डी) शेयरधारकों द्वारा नामांकन (न्यूनतम 100), नामांकन फॉर्म के नमूने के अनुसार घोषणा के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए और इस नोटिस में उम्मीदवार द्वारा न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट/आश्वासनों के रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार/अन्य राजपत्रित अधिकारी/भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी अधिकारी/किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष विधिवत हस्ताक्षरित यह घोषणा कि वह नामांकन स्वीकार करता/करती है और निर्वाचन में भाग लेने का/की इच्छुक है और वह अधिनियम/विनियम अधिनियम/योजना/विनियम/भारिबैं अधिसूचना/भारत सरकार दिशानिर्देश के अंतर्गत निदेशक बनने के अयोग्य न हुआ/हुइ है जिस के साथ उसका विधिवत हस्ताक्षरित व्यक्तिगत विवरण (बायो डाटा) और इस आशय की पुष्टि होनी चाहिए कि ऐसे विवरण उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और उसकी यह वचनबद्धता कि वह इस घोषणा के बाद ऐसी कोई भी घटना, जो इस सूचना से संगत हो, बैंक को यथाशीघ्र पूर्णतया सूचित करेगा/करेगी।
- (ई) नामांकन फार्म एवं घोषणा फार्म विनियम द्वारा यथानिर्धारित और इस नोटिस के साथ संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार है। (पूर्ण नोटिस सहित यह प्रोफार्मा बैंक की वेबसाइट www.allahabadbank.in पर भी उपलब्ध है।
- (एफ) वह बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1979 अथवा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 अथवा इलाहाबाद बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 1999 यथासंशोधित अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 23.05.2011 की अधिसूचना सं. डीबीओडी. बीसी. सं. 95/23.39.001/2010-11 के साथ पठित दिनांक 01.11.2007 की अधिसूचना सं. डीबीओडी. बीसी. सं. 46 और 47/29.39.001/2007-08 अथवा भारत सरकार के दिनांक 01.06.2011 के दिशानिर्देशों, के अनुसार और जिसे भारत सरकार के दिनांक 03.09.2013 के पत्र द्वारा शेयरधारक निदेशकों हेतु भी लागू किया गया है और निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जाने हेतु समय-समय पर जारी अन्य दिशानिर्देशों और विभिन्न अधिनियमों के प्रयोज्य प्रावधानों, दिशानिर्देशों, निर्देशों के अनुसार निदेशक के रूप में चयन हेतु अयोग्य न हो।

II. नामांकन फार्मों की प्रस्तुति :

शेयरधारकों में से बैंक के निदेशकों के चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारकों को (केंद्र सरकार को छोड़कर) इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूपों में विधिवत भरे हुए निम्नलिखित दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), सीएफओ एवं अनुपालन अधिकारी, इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय, 21



INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders will be open for inspection by the shareholders at the Allahabad Bank, Share Department & Investors' Grievance Cell, Head Office 2, Netaji Subhas Road Kolkata - 700 001 on all working days (other than Sundays and Bank Holidays) i.e, Monday to Friday between 3.00 p.m. to 5.00 p.m and on Saturday between 11.00 a.m. to 1.00 p.m.

If any shareholder requires a copy or computer print of select/part information, the same shall be supplied to him on prepayment at the rate of ₹ 5/- (Rupees five only) for every 1,000 words or fractional part thereof required to be copied.

NOMINATION

I. VALIDITY OF NOMINATIONS:

In terms of Regulation 65 of Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999, as amended, Reserve Bank of India Notifications DBOD. No. BC. No. 46 and 47 /29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with Notification No.DBOD. BC.No.95/ 29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011, GOI Guidelines dated 01.06.2011 as applicable to Part-time Non-Official Directors and also made applicable to the shareholders' Directors vide GOI letter dated 03.09.2013, or such other directives as may be issued from time to time for being elected as a director and other applicable provisions of various Acts, Guidelines, Directives, nomination of a candidate for election as a Director shall be valid provided:

- a) He/she is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of the Bank as on Friday, the 6th February, 2015 being the Cut-off Date/Record Date fixed for the purpose of determining the eligibility of shareholders for participating in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she is elected.
- b) As on Monday, the 23rd February, 2015, being the last date for receipt of nomination, he/she is not disqualified to be Director under the Act/ Regulation Act/Scheme / Regulation / RBI Notifications/GOI Guidelines.
- c) The nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched/ deposited to the Head Office of the Bank addressed to the General Manager (F&A), CFO & Compliance Officer, Head Office 2, Netaji Subhas Road Kolkata - 700 001 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
- d) The nominations by the shareholders (Minimum 100) is accompanied by a declaration by the candidate as per the specimen form of nomination and declaration furnished in this notice duly signed by the candidate before a Judge/Magistrate/Registrar, Sub-Registrar of Assurances/other Gazetted Officer/an officer of the Reserve Bank of India/any Nationalized Bank, that he / she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act /Regulation Act/Scheme/Regulation/ RBI Notifications/applicable GOI guidelines from being a Director along with his/her personal details (Bio-data) duly signed and affirmed to the effect that such details are true to the best of his/her knowledge and belief and also his/her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.
- e) The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation and as per the proforma annexed to this Notice (The proforma is also available on the Bank's website www.allahabadbank.in along with full Notice).
- f) He/She is not disqualified under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999 as amended, Notifications of Reserve Bank of India DBOD. No. BC. No. 46 and 47 /29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with Notification No.DBOD. BC.No.95/ 29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and GOI Guidelines dated 01.06.2011 as applicable to Part-time Non-Official Directors and also made applicable to the shareholders' Directors vide GOI letter dated 03.09.2013, or such other directives as may be issued from time to time for being elected as a director.

II. SUBMISSION OF NOMINATION FORMS:

Shareholders desirous of contesting the election of the Directors of the Bank from amongst the shareholders, other than the Central Government, should submit following documents in formats annexed to this Notice, in a sealed envelope to the General Manager (F&A), CFO & Compliance Officer, Head Office



2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700001 को असाधारण आम सभा की निर्धारित तिथि से कम से कम 14 कार्यदिवस पूर्व अर्थात् सोमवार, 23, फरवरी, 2015 को सायं 5.00 बजे तक या इससे पूर्व प्रस्तुत कर देना चाहिए।

- (ए) विधिवत रूप से भरा गया घोषणा पत्र;
- (बी) निर्वाचन में भाग लेने हेतु पात्र न्यूनतम 100 शेयरधारकों से नामांकन;
- (सी) इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप में व्यक्तिगत सूचना, घोषणा पत्र तथा वचन पत्र, जिसके साथ संबंधित दस्तावेज, प्रमाणपत्र अर्थात् स्व सत्यापित बायोडाटा, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र, अनुभव आदि संलग्न हो;
- (डी) उपर्युक्त नामांकन फार्म व अन्य दस्तावेज सभी तरह से पूर्ण होने चाहिए और ऐसा न होने पर नामांकन अस्वीकृत किया जा सकता है।

III. नामांकनों की जांच तथा निदेशकों का चुनाव

- (ए) नामांकन प्राप्त होने के लिए निर्धारित तिथि के बाद के प्रथम कार्य दिवस अर्थात् मंगलवार, 24, फरवरी, 2015 को नामांकनों की जांच की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है तो उसका कारण दर्ज करने के पश्चात् उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- (बी) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1 नवंबर, 2007 को जारी 'उपयुक्त व समुचित' दिशानिर्देशों के तहत तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं में अशासकीय निदेशकों के नामांकन के संबंध में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.06.2011 को जारी सामान्य दिशानिर्देशों तथा जिसे भारत सरकार के दिनांक 03.09.2013 के पत्र द्वारा शेयरधारक निदेशकों के लिए भी प्रयोज्य बनाया गया है, के अनुरूप नामांकन, बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा जांच के अध्वधीन होगा।
- (सी) यदि चुनाव द्वारा भरी जाने वाली तीन रिक्तियों हेतु तीन या उससे कम वैध नामांकन प्राप्त हो तो इस प्रकार नामित प्रत्याशी उसी समय से निर्वाचित समझे जाएंगे और उनके नाम तथा पते निर्वाचित निदेशक के रूप में प्रकाशित होंगे। ऐसी स्थिति में, शेयरधारक निदेशकों के निर्वाचन से संबंधित कार्यसूची मद पर असाधारण आम सभा में चर्चा नहीं की जाएगी। नव निर्वाचित निदेशक अगले दिन कार्य ग्रहण करेंगे।
- (डी) यदि वैध नामांकन तीन से अधिक हो तो प्रत्याशियों के नाम समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे तथा चुनाव कराया जाएगा और चुनाव में सर्वाधिक ई-वोटिंग तथा मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी निर्वाचित होंगे और उनके नाम बैठक में घोषित किए जाएंगे तथा समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित किये जाएंगे।

IV. अभ्यर्थिता वापस लेना

यदि कोई अभ्यर्थी अपना नामांकन वापस लेना चाहता है तो महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), सीएफओ एवं अनुपालन अधिकारी, इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय, 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700001 के पते पर या फैक्स नं. 033-22104050 पर मंगलवार, 03 मार्च, 2015 को बैंक के कार्यसमय की समाप्ति से पहले किसी भी समय अर्थात् अपराह्न 05.00 बजे या उससे पहले वे ऐसा करने के पात्र होंगे। तत्पश्चात् इसे कुरियर/स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित किया जाना चाहिए।

V. विवाद

किसी विवाद की स्थिति में उसका निपटान यथा संशोधित इलाहाबाद बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1999 के विनियम 67 के अनुरूप किया जाएगा।

VI. उद्धरण

शेयरधारकों की सुविधा हेतु प्रयोज्य अधिनियम/विनियम अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना/भारत सरकार के दिशानिर्देश के संगत उद्धरण एतदपश्चात् संलग्न हैं।

निदेशकों का चुनाव—संबद्ध अधिनियमों, योजनाओं और विनियमों आदि का सारांश

शेयरधारक निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में तथा केंद्र सरकार से इतर शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित होने वाले ऐसे निदेशकों की संख्या संबंधी प्रावधान बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) में विहित है।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 तथा यथासंशोधित इलाहाबाद बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 1999, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 23.05.2011 के अधिसूचना संख्या DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 के साथ पठित दिनांक 01.11.2007 के भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना संख्या 46 एवं 47/29.39.001/2007-08 द्वारा जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के "उपयुक्त एवं समुचित" मानदंड तथा दिनांक 3 सितम्बर, 2013 के भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन द्वारा शेयरधारक निदेशक हेतु प्रयोज्य बनाया गया दिनांक 01.06.2011 के अंशकालीक अशासकीय निदेशक (भारत सरकार के दिशानिर्देश) के चयन हेतु दिशा निर्देश को शेयरधारकों की जानकारी के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।



2, Netaji Subhas Road Kolkata – 700 001, on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the Extraordinary General Meeting i.e., on or before closing hours of the Bank at 5.00 p.m., on Monday, the 23rd February, 2015:

- a. Duly filled in Declaration Form;
- b. Nominations from minimum of one hundred shareholders entitled to participate in the election;
- c. Personal Information, Declaration and Undertaking in the formats annexed to the Notice together with the connected documents, testimonials, viz. self attested copies of Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience, etc.,
- d. The said nomination forms and other documents should be complete in all respects failing which, the nominations are liable to be rejected.

III. SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS :

- a) Nominations shall be scrutinized on Tuesday, the 24th February, 2015, i.e. the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons therefor.
- b) Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination Committee of the Board in terms of the 'Fit and Proper' Guidelines dated November 01, 2007 and dated May 23, 2011 issued by the Reserve Bank of India as well as the General Guidelines for nomination of Non Official Directors in Banks and Financial Institutions as issued by Ministry of Finance, Government of India vide letter dated 01.06.2011 and also made applicable to the shareholders' Directors vide letter dated 03.09.2013.
- c) If there are only three or less than three valid nominations for the three vacancies to be filled by the election, the candidates so nominated shall be deemed to be elected forthwith and their names and addresses shall be published as so elected. In such an event, agenda item relating to Election of Shareholders' Directors will not be taken up at the Extraordinary General Meeting. The newly elected directors will assume office the next day.
- d) If there are more than three valid nominations, the names of the candidates shall be published in the newspapers and Election will be held and candidates polling the majority of the votes i.e. aggregate of e-voting and poll at the meeting will be deemed to have been elected and their names will be announced and also published in newspapers.

IV. WITHDRAWAL OF CANDIDATURE :

If any candidate desires to withdraw his/her nomination, he/she would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank i.e. on or before 5.00 p.m. on Tuesday, the 03rd March, 2015 by sending a letter addressed to General Manager (F&A), CFO & Compliance Officer, Allahabad Bank Head Office 2, Netaji Subhas Road Kolkata – 700 001 over Fax No. 033-22104050 followed by despatch of the same by Courier/Speed Post/Registered Post.

V. DISPUTES :

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999, as amended.

VI. EXTRACTS :

Extracts of the relevant portions of the applicable Act/Regulation Act/Scheme/Regulations/ Notification/ GOI Guidelines are reproduced hereinafter for the benefit of the shareholders.

ELECTION OF DIRECTORS – EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME AND REGULATIONS, ETC.

The provisions regarding Election of Shareholders' Directors and the number of such Directors to be elected by the shareholders other than the Central Government are contained in Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

The relevant Sections of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the relevant regulations of Allahabad Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, as amended, RBI's "Fit and Proper" Criteria issued vide RBI Notification No. 46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with Notification No. DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and Guidelines for selection of part-time Non-official Director (GOI Guidelines) dated 01.06.2011 made applicable to the shareholders' Directors vide GOI Office Memorandum dated 3rd September 2013 are reproduced herein after for the information of the shareholders.



1. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949

व्यापक रुचि-धारा 5(एनई) :

- (i) कंपनी से संबंध का तात्पर्य, किसी व्यक्ति या उसके पति/पत्नी या नाबालिग बच्चे द्वारा चुकता पूंजी में लाभकारी रुचि धारण करना है, जो भले ही एकल रूप में या उनके शेरों में सामूहिक रूप में, रुपये पाँच लाख या कंपनी की चुकता पूंजी का दस प्रतिशत, जो भी कम हो, से अधिक हो;
- (ii) फर्म से संबंध का तात्पर्य किसी व्यक्ति या उनके पति/पत्नी या नाबालिग बच्चे द्वारा धारित लाभकारी रुचि है, जो एकल या सामूहिक रूप में उक्त फर्म के समस्त साझेदारों द्वारा कुल अभिदत्त पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है।

सामान्य निदेशकों पर प्रतिबंध-धारा 16(1) :

भारत में निगमित कोई भी बैंकिंग कंपनी अपने निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में ऐसे किसी व्यक्ति को शामिल नहीं करेगी, जो अन्य बैंकिंग कंपनी में निदेशक हो।

ऋण एवं अग्रिम के संबंध में प्रतिबंध-धारा 20 :

- 1) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में समाहित किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, कोई भी बैंकिंग कंपनी निम्न कार्य नहीं करेगी—
 - (ए) अपने स्वयं के शेरों की प्रतिभूति पर कोई ऋण अथवा अग्रिम स्वीकृत नहीं करेगी, अथवा
 - (बी) निम्न को अथवा उनकी ओर से कोई ऋण या अग्रिम स्वीकृत करने या अग्रिम देने के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं करेगी :
 - (i) अपने किसी निदेशक को,
 - (ii) ऐसी कोई फर्म जिसमें इसके किसी निदेशक का एक साझेदार, प्रबंधक, कर्मचारी अथवा गारंटीकर्ता के रूप में हित है, अथवा
 - (iii) ऐसी कोई कंपनी जो बैंकिंग कंपनी की अनुषंगी नहीं है अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनी अथवा ऐसी सरकारी कंपनी जिसकी अथवा जिसकी अनुषंगी की अथवा जिसकी होल्डिंग कंपनी की बैंकिंग कंपनी जिसमें वह कोई निदेशक, प्रबंधक, कर्मचारी अथवा गारंटीदाता है अथवा जिसमें उसका पर्याप्त हित है, अथवा
 - (iv) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके संबंध में इसके निदेशकों में से कोई निदेशक उसका साझेदार अथवा गारंटीदाता है।
- 2) जहां बैंकिंग कंपनी द्वारा स्वीकृत कोई ऋण अथवा अग्रिम इस प्रकार का है कि इसे स्वीकृत करने के लिए प्रतिबद्धता नहीं की गयी हो, यदि उपधारा (1) का खंड (बी) उस तारीख को, जब ऋण अथवा अग्रिम किया गया था, प्रभावी होता, अथवा बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का 58) की धारा 5 प्रारंभ होने के पश्चात बैंकिंग कंपनी द्वारा स्वीकृत किया गया है परंतु ऐसे प्रारंभ से पहले की गई प्रतिबद्धता के अनुसरण में, ऋण अथवा अग्रिम की स्वीकृति के समय उसके संबंध में निर्धारित अवधि के भीतर उस पर देय, अथवा जहां ऐसी अवधि निर्धारित नहीं की गई है, उक्त धारा 5 के प्रारंभ होने से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले, ऋण अथवा अग्रिम के कारण बैंकिंग कंपनी को देय मूल के साथ ब्याज, यदि कोई है, की वसूली के लिए उपाय किए जाएंगे, परंतु यदि बैंकिंग कंपनी द्वारा इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को किसी मामले में लिखित आवेदन किया गया हो तो भारतीय रिजर्व बैंक, ऋण अथवा अग्रिम की वसूली की अवधि ऐसी तिथि तक बढ़ा सकता है, जो उक्त धारा 5 के आरंभ से 3 वर्ष की अवधि के बाद की तिथि नहीं होगी और ऐसे नियम एवं शर्तों के अधधीन होगी, जैसा भारतीय रिजर्व बैंक उचित समझेगा।

परंतु यह उप-धारा इस अवस्था में लागू नहीं हो सकती है, जब संबंधित निदेशक बैंकिंग कंपनी के निदेशक पद को या तो मृत्यु, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त न कर दे।
- 3) उपधारा (2) में संदर्भित कोई ऋण अथवा अग्रिम अथवा उसका कोई भाग, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रेषित नहीं किया जाएगा और ऐसे अनुमोदन के बिना कोई भी प्रेषण अवैध एवं अप्रभावी माना जाएगा।
- 4) जहां उपधारा (2) में संदर्भित कोई ऋण अथवा अग्रिम, किसी व्यक्ति द्वारा देय, उस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर बैंकिंग कंपनी को चुकता नहीं किया गया है, तब ऐसा व्यक्ति, यदि उक्त अवधि की समाप्ति पर ऐसी बैंकिंग कंपनी का निदेशक है, तो उसने इस कारण उक्त तिथि को अपना कार्यभार रिक्त किया हुआ समझा जाएगा।

इस धारा का स्पष्टीकरण—

- 'ऋण अथवा अग्रिम' में ऐसा कोई संव्यवहार शामिल नहीं होगा जिसे भारतीय रिजर्व बैंक संव्यवहार की प्रकृति, संव्यवहार के कारण सम्भावित देय राशि की वसूली, चुकौती अवधि, चुकौती के ढंग और परिस्थितियों, जमाकर्ताओं के हित और अन्य सम्बद्ध बातों को ध्यान में रखते हुए, सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकता है कि यह इस धारा के प्रयोजन के लिए ऋण अथवा अग्रिम नहीं है।
- 'निदेशक' का तात्पर्य बैंकिंग कंपनी द्वारा भारत में गठित किसी निदेशक मंडल अथवा समिति के सदस्य से है जो इसका प्रबंध करने के प्रयोजन के लिए है अथवा इसके सभी या किन्हीं मामलों के प्रबंधन के संबंध में परामर्श देने के लिए है।
- 5) यदि यह प्रश्न पैदा होता है कि कोई संव्यवहार इस धारा के प्रयोजन से ऋण या अग्रिम है या नहीं, तो उस मामले को भारतीय रिजर्व बैंक को संदर्भित किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा।



THE BANKING REGULATION ACT, 1949

Substantial Interest – Section 5(ne) :

- (i) in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together in the shares thereof, the amount paid-up on which exceeds five lakhs of rupees or ten per cent of the paid-up capital of the company, whichever is less;
- (ii) in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together which represents more than ten per cent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm.

Prohibition of Common Directors – Section 16(1):

No Banking Company incorporated in India shall have as a Director on its Board of Directors, any person who is a Director of any other Banking Company.

Restrictions on Loans and Advances – Section 20:

- 1) Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), no Banking Company shall –
 - a) grant any loans or advances on the security of its own shares, or
 - b) enter into any commitment for granting any loan or advance to or on behalf of –
 - (i) any of its Directors
 - (ii) any firm in which any of its Directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or
 - (iii) any company not being a subsidiary of the Banking Company or a Company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which or the subsidiary or the holding company of which any of the Directors of the Banking Company is a Director, Managing Agent, Manager, Employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or
 - (iv) any individual in respect of whom any of its Directors is a partner or guarantor.
- 2) Where any loan or advance granted by a Banking Company is such that a commitment for granting it could not have been made if Clause (b) of sub-section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made or is granted by a Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement, steps shall be taken to recover the amounts due to the Banking Company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5; Provided that the Reserve Bank may, in any case on application in writing made to it by the Banking Company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank may deem fit :
Provided further that this sub-section shall not apply if and when the Director concerned vacates the office of the Director of the Banking Company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.
- 3) No loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank, and any remission without such approval shall be void and of no effect.
- 4) Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the Banking Company within the period specified in that sub-section, then, such period shall, if he is a Director of such Banking Company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

Explanation in this Section:

- “Loan or advance” shall not include any transaction which the Reserve Bank of India may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realized, the interest of the depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this Section;
 - “Directors” includes a member of any Board or Committee in India constituted by Banking Company for the purpose of managing or for the purpose of advising it in regard to the management of all or any of its affairs.
- 5) If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this Section, it shall be referred to the Reserve Bank, whose decision thereon shall be final.



बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970

मताधिकार के संबंध में प्रतिबंध

धारा 3(2ई) : तदनुसूची नए बैंक का कोई शेयरधारक, केंद्रीय सरकार के अलावा अपने द्वारा धारित किन्हीं शेयरों के विषय में तदनुसूची नए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार का प्रयोग करने के लिए हकदार नहीं होगा।

निदेशक मंडल का गठन

धारा 9(3)(i) : जहां पूंजी धारा 3 की उपधारा 2(बी) के खंड (सी) के तहत जारी की गयी है :

- (ए) कुल चुकता पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक नहीं है, तो एक निदेशक,
- (बी) सोलह प्रतिशत से अधिक, परंतु, कुल चुकता पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अनधिक, दो निदेशक,
- (सी) कुल चुकता पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक है, तो तीन निदेशक केंद्रीय सरकार से इतर शेयरधारकों द्वारा अपने में से चुने जाएंगे।

बशर्ते कि इस खंड के तहत किसी ऐसे निदेशक के चुनाव के बाद कार्यभार ग्रहण करने पर, खंड (एच) के तहत नामित उतने ही निदेशक इस प्रकार सेवानिवृत्त होंगे, जैसा कि योजना में विनिर्दिष्ट किया गया है।

यह भी प्रावधान है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारंभ पर या उससे पहले निर्वाचित निदेशकों की संख्या, तदनुसूची नये बैंक में उप-खंड (i), या उप-खंड (ii) या उप-खंड (iii), जैसा भी मामला हो, में विनिर्दिष्ट निदेशकों की संख्या से बढ़ जाती है तो ऐसे प्रारंभ से पहले निर्वाचित ऐसे अतिरिक्त संख्या के निदेशक, योजना में दर्शाए गए तरीके से सेवानिवृत्त होंगे और ऐसे निदेशक अपने कार्यदायित्वों से समयपूर्व सेवानिवृत्ति के कारण किसी क्षतिपूर्ति के दावे के पात्र नहीं होंगे।

धारा 9(3ए) : उक्त खंड (i) के तहत निर्वाचित किए जाने वाले निदेशक -

(ए) निम्नलिखित में से किसी एक अथवा एक से अधिक विषय में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होने चाहिए-

- i. कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- ii. बैंकिंग
- iii. सहकारिता
- iv. अर्थशास्त्र
- v. वित्त
- vi. विधि
- vii. लघु उद्योग
- viii. विशेष ज्ञान संबंधी अन्य कोई विषय एवं व्यवहारिक अनुभव जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में संबंधित नए बैंक के लिए उपयोगी है।

(बी) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करते हों, अथवा

(सी) किसानों, कामगारों एवं शिल्पकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हों।

धारा 9(3एए) : उपधारा 3(ए) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस अधिनियम अथवा इस समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि में समाविष्ट किसी प्रावधान के विपरीत हुए बिना कोई भी व्यक्ति उप धारा (3) के खंड (i) के तहत निदेशक के रूप में निर्वाचित होने का तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह व्यक्ति ट्रेड रिकार्ड, ईमानदारी और इस बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित ऐसे अन्य मानदंडों के आधार पर 'उपयुक्त एवं समुचित' हैसियत न रखता हो।

धारा 9(3एबी) : भारतीय रिज़र्व बैंक उपधारा (3एए) के अधीन जारी अधिसूचना में 'उपयुक्त एवं समुचित' हैसियत संबंधी निर्धारण का प्राधिकार, ऐसे निर्धारण की पद्धति, ऐसे निर्धारण के अनुपालन के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं अन्य ऐसे मामले जिन्हें आवश्यक अथवा प्रासंगिक समझा जाए, विनिर्दिष्ट भी कर सकता है।

धारा 9(3बी) : जहां भारतीय रिज़र्व बैंक की यह राय है कि उपधारा (3) के खंड (i) के तहत तदनुसूची नए बैंक का निर्वाचित कोई निदेशक उपधारा (3ए) एवं 3 (एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है, तो ऐसे निदेशक और बैंक को सुनवाई का समुचित अवसर दिए जाने के बाद, वह आदेश द्वारा ऐसे निदेशक को हटा सकता है और इस प्रकार हटाए जाने पर, निदेशक मंडल, उपधारा (3ए) एवं 3(एए) की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को, हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर तब तक के लिए निदेशक के रूप में चयन करेगा जबतक कि तदनुसूची नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा आगामी असाधारण आम सभा में एक निदेशक को विधिवत निर्वाचित न कर लिया जाए और इस प्रकार चयनित व्यक्ति तदनुसूची नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में विधिवत निर्वाचित समझा जाएगा।

सत्यनिष्ठा और गोपनीयता का दायित्व :

धारा 13(2) : प्रत्येक निदेशक, स्थानीय बोर्ड या किसी समिति का सदस्य, अथवा तदनुसूची नए बैंक का लेखापरीक्षक, परामर्शदाता, अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी, अपने कर्तव्य का दायित्व संभालने से पहले, तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट फार्म में सत्यनिष्ठा और गोपनीयता की घोषणा करेगा।



THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1970

Restrictions on voting rights:

Section 3(2E): No shareholder of the corresponding new Bank other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new Bank.

Composition of the Board of Directors:

Section 9(3)(i): Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is :-

- a) not more than sixteen per cent of the total paid up capital, one Director
- b) more than sixteen per cent, but not more than thirty two per cent of the total paid up capital, two Directors.
- c) more than thirty two per cent of the total paid-up capital, three Directors to be elected by the shareholders other than the Central Government from amongst themselves.

Provided that on the assumption of charge after election of any such director under this clause, equal number of directors nominated under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the Scheme.

Provided further that in case the number of directors elected, on or before the commencement of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, in a corresponding new Bank exceed the number of directors specified in sub-clause (I) or sub-clause (II) or sub-clause (III), as the case may be, such excess number of directors elected before such commencement shall retire in such manner as may be specified in the scheme and such directors shall not be entitled to claim any compensation for the premature retirement of their term of office.

Section : 9(3A): The Directors to be elected under the said clause (i) shall -

(A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters, namely-

- i. Agricultural and rural economy
- ii. Banking
- iii. Co-operation
- iv. Economics
- v. Finance
- vi. Law
- vii. Small scale industry

viii. Any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank, be useful to the corresponding new Bank.

(B) Represent the interests of depositors; or

(C) Represent the interest of farmers, workers and artisans

Section 9(3AA): Without prejudice to the provision of sub-section 3(A) and notwithstanding anything to the contrary contained in the Act or in other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as a Director under Clause (i) of Sub- Section (3) unless he is a person having 'fit and proper status' based upon the track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank of India may notify from time to time in this regard.

Section 9(3AB): The Reserve Bank of India may also specify in the notification issued under sub-section 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

Section 9(3B): Where the Reserve Bank is of the opinion that any Director of a corresponding new Bank elected under clause (i) of sub-section (3) does not fulfill the requirements of sub-section (3A) and (3AA), it may after giving to such Director and the Bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such Director and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person fulfilling the requirement of sub-section (3A) and (3AA) as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank in the next Annual General Meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank as a Director.

Obligation as to Fidelity and Secrecy:

Section 13(2): Every Director, member of a local Board or a Committee, or Auditor, Advisor, Officer or other employee of a corresponding new Bank shall before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.



राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970

निर्वाचित निदेशकों का कार्यकाल

खंड 9(4) :

निर्वाचित निदेशक का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा और वह पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होगा। परंतु ऐसा निदेशक निरंतर छः वर्ष से अधिक पद पर नहीं रहेगा।

निदेशकों की अपात्रता :

खंड 10 :

कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने और निदेशक बनने के लिए अपात्र होगा -

- (ए) यदि उसे किसी भी समय दिवालिया घोषित कर दिया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोके रखा हो या प्रशमन (compounded) किया हो, अथवा
- (बी) यदि उसे विकृत दिमाग का पाया गया हो अथवा उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, अथवा
- (सी) यदि उसे फौजदारी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो अथवा उसने ऐसा अपराध किया हो जो नैतिक चरित्रहीनता से जुड़ा हो, अथवा
- (डी) यदि वह, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी) बैंक अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथापरिभाषित किसी अनुषंगी बैंक के तहत लाभ का पद धारण करता है/करती है, सिवाय इसके कि वह अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ई) और (एफ) के तहत समरूपी नए बैंक के कर्मचारियों में से नामित पूर्ण कालिक निदेशकों इसमें प्रबंध निदेशक तथा निदेशक भी शामिल हैं, सहित का पद धारण करता है/करती है।

निदेशकों के पद रिक्त होना

खंड 11 :

1. यदि कोई निदेशक, खंड 10 में विनिर्दिष्ट किसी भी अपात्रता के अध्यक्षीन अथवा निदेशक मंडल की पूर्व अनुमति के बिना उसकी तीन से अधिक बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहता है तो यह समझा जाएगा कि उसने अपने पद को रिक्त कर दिया है। परिणामस्वरूप उसका पद रिक्त हो जाएगा।
2. अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशक अथवा अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (बी) अथवा खंड (सी) या खंड (डी) में निर्दिष्ट निदेशक केंद्रीय सरकार को लिखित में त्यागपत्र का नोटिस देते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और ऐसे त्यागपत्र को उस सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है; और कोई अन्य निदेशक केंद्रीय सरकार को अपने त्यागपत्र का नोटिस लिखित में देते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और केंद्रीय सरकार से त्यागपत्र की सूचना-प्राप्ति प्राप्त होने पर त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा।
3. पूर्वोक्त उप-खंडों के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के सी. 1 (ई) अथवा सी 1 (एफ) में संदर्भित निदेशक का पद, जिस राष्ट्रीयकृत बैंक का वह निदेशक है उसका एक कर्मकार अथवा कर्मकार से इतर का एक कर्मचारी नहीं रह जाने पर उस पद को खाली माना जायेगा।
4. जहां निर्वाचित निदेशक के अलावा किसी निदेशक का कोई पद रिक्त होता है, तो यह पद अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के अनुरूप भरा जाएगा।

निर्वाचित निदेशक को पद से हटाना

खंड 11ए :

केंद्रीय सरकार के अलावा ऐसे शेयरधारक, जिनकी सकल धारिता उनके द्वारा धारित शेयर पूंजी के आधे से कम नहीं है, तो धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (i) के तहत वे बहुमत से पारित संकल्प द्वारा किसी निर्वाचित निदेशक को पद से हटा सकते हैं और रिक्त पद को भरने के लिए उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को निर्वाचित कर सकते हैं।

निर्वाचित निदेशक के रिक्त पद को भरना

खंड 11बी :

1. जहां निर्वाचित निदेशक के कार्यकाल की अवधि की समाप्ति से पहले कोई पद रिक्त होता है, तो रिक्त पद को चुनाव द्वारा भरा जाएगा।
बशर्त कि जहां रिक्त पद की अवधि 6 माह से कम होने की संभावना हो, रिक्त पद को शेष निदेशकों द्वारा भरा जा सकता है।
2. कोई व्यक्ति जो निर्वाचित अथवा विकल्पित है, जैसा भी मामला हो, उपखंड (1) के तहत अपने पूर्ववर्ती की कार्य अवधि के असमाप्त भाग के लिए पद धारण करेगा।



THE NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1970

Term of office of elected Director:

Clause 9(4) :

An elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election. Provided that no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Disqualification of Directors:

Clause 10 :

A person shall be disqualified for being appointed as and for being a Director:-

- a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
- b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
- d) if he holds any office of profit under any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from amongst the employees of the corresponding new Bank.

Vacation of office of Directors:

Clause 11 :

1. If a Director becomes subject to any of the disqualifications specified in clause 10 or is absent without leave of the board for more than three consecutive meetings thereof, he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.
2. The Chairman or a whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub section 3 of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.
3. Without prejudice to the provision of the foregoing sub-clauses, the office of a Director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section 3 of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the Director ceases to be a workman or an employee other than workman of the Nationalized Bank of which he is a Director.
4. Where any vacancy occurs in the office of a Director other than an elected Director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

Removal from office of an elected Director:

Clause 11A :

The shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by the majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate, not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of the sub-section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.

Filling of vacancy in the office of an elected Director

Clause 11B :

1. Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected Director, the vacancy shall be filled by election.
Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled by the remaining Directors
2. A person elected or co-opted, as the case may be, under sub clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.



निदेशकों द्वारा हित प्रकटीकरण :

खंड 12(8) :

निदेशक जो राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा या की ओर से किए गए अथवा किए जाने हेतु प्रस्तावित किसी संविदा, ऋण, प्रबंध अथवा प्रस्ताव में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध है अथवा उसमें उसका हित है, सम्बद्ध परिस्थितियां उसकी जानकारी में आने के पश्चात यथाशीघ्र अपने हित की प्रकृति को निदेशक मंडल में प्रकट करेगा और जब ऐसी संविदा, ऋण, प्रबंध अथवा प्रस्ताव के बारे में निदेशक मंडल में चर्चा की जाएगी, वह निदेशक मंडल की बैठक में, जब तक कि उस प्रयोजन के लिए सूचना प्राप्त के लिए सूचना प्राप्त करने के लिए अन्य निदेशकों द्वारा उसकी उपस्थिति अपेक्षित न हो, उपस्थित नहीं रहेगा। परंतु इस उपधारा में समाहित कुछ भी, ऐसे निदेशकों पर मात्र निम्नलिखित होने के कारण लागू नहीं होगा :

- (i) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथा परिभाषित सार्वजनिक कंपनी अथवा भारत में फिलहाल लागू विधि द्वारा अथवा विधि के तहत स्थापित किसी निगम अथवा किसी सहकारी समिति, जिसके साथ अथवा जिसकी ओर से राष्ट्रीयकृत बैंक ने संविदा, ऋण, प्रबंध अथवा प्रस्ताव किया है अथवा करने वाला है, में किसी शेयरधारक (निदेशक के अलावा) की धारिता, चुकता पूंजी के 2 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

अथवा,

- (ii) राष्ट्रीयकृत बैंक का अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी, यदि वह निदेशक है (अधिनियम 9 की उप धारा (3) की खंड (ई) अथवा खंड (एफ) में विनिर्दिष्ट)।

इलाहाबाद बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1999 यथासंशोधित संयुक्त धारकों के अधिकार का इस्तेमाल :

विनियमन 10 :

यदि शेयर दो अथवा दो से अधिक के नाम पर हैं तो रजिस्टर में दर्ज प्रथम व्यक्ति मतदान, लाभांश प्राप्ति, नोटिस और शेयरों के अंतरण को छोड़कर इलाहाबाद बैंक से संबंधित सभी अथवा अन्य किसी मामले के बारे में शेयरों का एकलधारक समझा जाएगा।

सामान्य बैठकों में निदेशकों का चुनाव :

विनियमन 63 :

- (i) अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत जिनका नाम रजिस्टर पर है ऐसे केंद्रीय सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा, बैंक की सामान्य बैठक में उनमें से निदेशक चुना जाएगा।
- (ii) जहां किसी सामान्य बैठक में निदेशक का चुनाव होने वाला हो उससे संबंधित नोटिस, बैठक के आयोजन से संबद्ध नोटिस में सम्मिलित होगा। ऐसे नोटिस में चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या तथा जिनके संबंध में चुनाव होना है उन रिक्त पदों से संबंधित विवरण दर्शाए गए होने चाहिए।

शेयरधारकों की सूची :

विनियमन 64 :

- (i) इन विनियमों के विनियमन 63 के उप-विनियमन (i) के अंतर्गत निदेशक के चुनाव के उद्देश्य से रजिस्टर से उन शेयरधारकों की एक सूची तैयार की जाएगी जिनके द्वारा निदेशक का चुनाव होगा।
- (ii) सूची में शेयरधारकों के नाम, उनके रजिस्ट्रीकृत पते, उनके पास शेयरों की संख्या तथा शेयर का पृथक क्रमांक, उस तारीख सहित जिस दिन वह रजिस्टर्ड किए गए थे तथा बैठक के लिए निर्धारित वह दिनांक जिस पर चुनाव होगा, मताधिकार की संख्या जिनके लिए वे हकदार होंगे तथा बैठक की निर्धारित तिथि से 3 सप्ताह पूर्व शेयरधारकों की सूची की प्रति उस मूल्य पर खरीदने के लिए उपलब्ध रहेगी, जो बोर्ड या प्रधान कार्यालय की प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है।

चुनाव हेतु उम्मीदवारों का नामांकन :

विनियमन 65 :

- (i) निदेशक के रूप में निर्वाचित के लिए किसी उम्मीदवार का नामांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि :
 - (ए) वह इलाहाबाद बैंक का शेयरधारक न हो और उसके पास 100 (एक सौ) से कम शेयर न हो।
 - (बी) वह नामांकन प्राप्ति होने की अंतिम तारीख को उक्त अधिनियम या योजना के अंतर्गत निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं हो।
 - (सी) उसके द्वारा धारित बैंक के सभी शेयरों, चाहे उसके एकल नाम पर हों अथवा अन्य के साथ संयुक्त रूप से हो, से संबंधित मांग की राशि का भुगतान निर्धारित अंतिम तिथि तक या इससे पहले कर दिया गया हो।
 - (डी) उक्त अधिनियम के अंतर्गत निदेशक के रूप में निर्वाचित करने के लिए नामांकन लिखित रूप में किया गया हो और कम से कम एक सौ पात्र शेयरधारकों अथवा यथाविधि गठित उनके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो, बशर्ते किसी शेयरधारक जो एक कंपनी हो, द्वारा किया गया नामांकन,



Disclosure of interest by Directors:

Clause 12(8) :

A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the Nationalized Bank shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal :

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such Director by reason only of his being:

- i. a shareholder (other than a Director) holding not more than two percent of the paid up capital in any public Company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or any Corporation established by or under any law for the time being in force in India or any Co-operative society, with which or to which the Nationalized Bank has entered into or made, or proposed to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal; or
- ii. an officer or other employee of the Nationalized Bank, if he is a director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

ALLAHABAD BANK (SHARES AND MEETINGS) REGULATIONS, 1999, AS AMENDED

Exercise of rights of joint holders :

Regulation 10:

If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with Allahabad Bank except the transfer of shares be deemed to be the sole holder thereof.

Directors to be elected at general meeting:

Regulation 63:

- i. A Director under clause (i) of sub-section 3 of Section 9 of the Act shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government, from amongst themselves in the General Meeting of the Bank.
- ii. Where an election of a Director is to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

List of shareholders:

Regulation 64:

- i. For the purpose of election of a Director under sub-regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the director is to be elected.
- ii. The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

Nomination of candidates for election:

Regulation 65:

- i. No nomination of a candidate for election as a director shall be valid unless,
 - a) he is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares in Allahabad Bank.
 - b) he is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a Director under the Act or under the Scheme.
 - c) he has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;
 - d) the nomination is in writing signed by atleast one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a Company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be



उसके निदेशकों द्वारा पारित किए गए संकल्प के अनुसार किया गया हो और जिस बैठक में इसे पारित किया गया हो उसके अध्यक्ष द्वारा संकल्प की एक प्रति, बैंक के प्रधान कार्यालय को भेजी गयी हो और ऐसी प्रति को ऐसी कंपनी की ओर से नामांकन समझा जाएगा।

(ई) नामांकन के साथ अथवा नामांकन में प्रत्याशी द्वारा किसी न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार अथवा एश्वोरेंस के उप-रजिस्ट्रार के समक्ष अथवा किसी अन्य राजपत्रित अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी अधिकारी अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित इस आशय की घोषणा शामिल होनी चाहिए कि वह नामांकन को स्वीकार करता है और चुनाव में खड़े होने के लिए इच्छुक है और वह उक्त अधिनियम अथवा योजना अथवा इन विनियमों के तहत निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं हैं।

(ii) कोई नामांकन तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक कि वह सभी प्रकार से पूर्ण संबंधित दस्तावेजों के साथ प्रधान कार्यालय में बैठक के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम 14 दिन पूर्व प्राप्त न हो जाए।

नामांकन की जांच :

विनियमन 66 :

- (i) नामांकन प्राप्त होने के लिए निर्धारित तिथि के बाद के प्रथम कार्य दिवस को नामांकनों की जांच की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया गया तो उसके लिए कारण दर्ज करने के पश्चात उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा। यदि चुनाव के जरिए किसी विशेष रिक्त पद को भरने के लिए केवल एक वैध नामांकन प्राप्त हो तो इस प्रकार नामित प्रत्याशी उसी समय से निर्वाचित समझा जाएगा और उसका नाम तथा पता निर्वाचित निदेशक के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी अवस्था में चुनाव के प्रयोजन के लिए आयोजित बैठक स्थल पर कोई चुनाव नहीं होगा और यदि बैठक उक्त चुनाव के प्रयोजन मात्र के लिए ही आयोजित की गयी हो तो इसे निरस्त समझा जाएगा।
- (ii) चुनाव होने की अवस्था में, यदि नामांकनों की संख्या निर्वाचित किए जाने वाले निदेशकों की संख्या से अधिक हो, तो बहुमत प्राप्त प्रत्याशी को निर्वाचित समझा जाएगा।
- (iii) मौजूदा रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचित निदेशक को निर्वाचन/निर्वाचित समझे जाने की तिथि के अगले दिन से पदभार ग्रहण किया हुआ समझा जाएगा।

चुनाव विवाद :

विनियम - 67 :

- i. यदि निर्वाचित समझे जानेवाले अथवा निर्वाचित घोषित किए गए किसी व्यक्ति की योग्यता अथवा अयोग्यता अथवा किसी निदेशक के चुनाव की वैधता के बारे में विवाद पैदा होता है, तो प्रत्याशी होने के लिए इच्छुक कोई व्यक्ति अथवा ऐसे चुनाव में मतदान करने के लिए हकदार शेयरधारक, ऐसे चुनाव के परिणाम के घोषित होने की तिथि के 7 दिनों के भीतर उसकी सूचना लिखित रूप में बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को दे सकता है और उक्त सूचना में वह उन कारणों का पूर्ण विवरण देगा जिसके आधार पर चुनाव की वैधता के बारे में उसे संदेह अथवा विवाद है।
- ii. उप विनियमन (i) के तहत सूचना प्राप्त होने पर बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक ऐसे संदेह अथवा विवाद पर निर्णय हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक और अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 3 के खंड (बी) और (सी) के तहत नामित किन्हीं दो निदेशकों के साथ गठित समिति को संदर्भित कर सकते हैं।
- iii. उप विनियमन (ii) में संदर्भित समिति आवश्यकतानुसार जांच करेगी और यदि समिति यह पाती है कि चुनाव वैध चुनाव था तो वह चुनाव के घोषित परिणाम की पुष्टि करेगी अथवा यदि यह पाती है कि चुनाव एक वैध चुनाव नहीं था तो वह जांच आरंभ होने के 30 दिनों के भीतर, परिस्थितियों के अनुसार नया चुनाव करने सहित ऐसे आदेश और ऐसे निर्देश जारी करेगी जो समिति को उचित लगे।
- iv. इस विनियम के अनुसरण में समिति के आदेश और निदेश अंतिम होंगे।

शेयरधारकों के मताधिकार :

विनियम 68:

मताधिकार का निर्धारण -

- i. अधिनियम की धारा 3(2ई) में निर्दिष्ट प्रावधान के अनुसार, ऐसा प्रत्येक शेयरधारक, जो आम सभा की तिथि के पूर्व रजिस्ट्रार के बंद होने की तिथि पर शेयरधारक के रूप में पंजीकृत हो चुका है, ऐसी बैठक में हाथ उठाकर मत देने की अवस्था में एक मत और निर्वाचन होने की अवस्था में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत देने का हकदार होगा।
 - ii. अधिनियम की धारा 3(2-ई) में निर्दिष्ट प्रावधान के अनुसार, उपरोक्तानुसार मत देने के लिए हकदार प्रत्येक शेयरधारक जो एक कंपनी नहीं है, व्यक्तिगत अथवा प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थित है अथवा जो कंपनी होने के नाते विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थित है, हाथ उठाकर मत देने की अवस्था में एक मत और उपरोक्त उपविनियम (i) में बताए अनुसार उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत देने के लिए हकदार होगा।
- व्याख्या : इस अध्याय के लिए “कंपनी” का तात्पर्य कोई भी कार्पोरेट निकाय है।



dispatched to the Head Office of the Bank and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company;

- e) the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an Officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a Director.
- ii. No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head office of Allahabad Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

Scrutiny of nominations:

Regulation 66:

- i. Nominations shall be scrutinized on the first working day following the date fixed for receipt of nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason thereof. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election it shall stand cancelled.
- ii. In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of Directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.
- iii. A Director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is or is deemed to be elected.

Election disputes:

Regulation 67:

- i. if any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a Director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of the Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.
- ii. On receipt of an intimation under sub-regulation (i) the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of the Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.
- iii. The committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared results of the election, or if it finds that the election was not a valid election, it shall, within thirty days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.
- iv. An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

Voting Rights of Shareholders:

Regulation 68:

Determination of voting rights:

- i. Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of the closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.
- ii. Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a Company, is present in person or by proxy or who being a Company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i).

Explanation – for this chapter, “Company” means any body corporate.



iii. आम सभा में भाग लेने और मत देने के लिए हकदार बैंक के शेयरधारकों को अपने स्थान पर किसी व्यक्ति (भले ही वह शेयरधारक है या नहीं) को भाग लेने और मत देने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करने का हक है परंतु इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान :

विनियमन 69 :

- i. कोई शेयरधारक, केंद्रीय सरकार अथवा कंपनी होने के नाते संकल्प द्वारा, जैसा भी मामला हो, अपने अधिकारियों में से किसी को अथवा अन्य व्यक्ति को शेयरधारकों की किसी सामान्य बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है और ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति (इन विनियमों में “विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि” के रूप में संदर्भित) को केंद्रीय सरकार अथवा कंपनी जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है, की ओर से उन्हीं शक्तियों के प्रयोग करने का हक होगा जैसे कि वह बैंक का शेयरधारक हो। इस प्रकार प्रदत्त प्राधिकार दो व्यक्तियों के पक्ष में वैकल्पिक रूप में होने चाहिए और ऐसे मामलों में ऐसे व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति केंद्रीय सरकार/कंपनी के विधिवत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है।
- ii. बैंक के शेयरधारकों की बैठक में कोई व्यक्ति कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक भाग नहीं ले सकता है अथवा मत नहीं दे सकता है जब तक कि जिस बैठक में उसे पारित संकल्प द्वारा विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था। उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रतिनिधि बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक के लिए निर्धारित तिथि से चार दिन पहले जमा न कर दी गई हो।

प्रॉक्सी

विनियमन 70 :

- i. वैयक्तिक शेयरधारक के मामले में प्रॉक्सी का कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि उस पर उसने अथवा उसके अटॉर्नी ने लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत न किया हो अथवा संयुक्त शेयरधारकों के मामले में रजिस्टर में अंकित प्रथम शेयरधारक अथवा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा अथवा कंपनी निकाय के मामले में उसके अधिकारी अथवा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किया गया हो।
बशर्ते प्रॉक्सी का लिखित, शेयरधारक द्वारा उपायुक्त रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए परंतु यदि किसी कारण से वह अपना नाम लिखने में असमर्थ है और उसके अंगुठे का निशान लगाया गया है तब यह तभी वैध माना जायेगा जब इसे किसी न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेन्सेस या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या इलाहाबाद बैंक के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो।
- ii. कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि उस पर विधिवत मुहर न लगी हुई हो और उसकी प्रति, बैठक की नियत तिथि से चार दिन पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में मुख्तारनामे अथवा अन्य प्राधिकार, यदि कोई हो, जिसके तहत हस्ताक्षर किए गये हों अथवा नोटरी पब्लिक अथवा किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा मुख्तारनामे अथवा अन्य प्राधिकार की सत्य प्रति के रूप में अधिप्रमाणन के साथ जमा न कर दिया गया हो और साथ ही ऐसा मुख्तारनामा अथवा कोई प्राधिकार बैंक के पास पहले जमा अथवा पंजीकृत न किया गया हो।
- iii. प्रॉक्सी का कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह फार्म “बी” में न हो।
- iv. बैंक के पास जमा किया गया प्रॉक्सी का कोई भी लिखत अपरिवर्तनीय तथा अंतिम होगा।
- v. वैकल्पिक रूप से दो अभिदाताओं के पक्ष में अभिदत्त प्रॉक्सी के लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जायेगा।
- vi. इस विनियम के तहत प्रॉक्सी के किसी लिखत का अभिदाता उस बैठक में व्यक्तिगत रूप से वोट देने का पात्र नहीं होगा जिससे वह लिखत संबंधित है।
- vii. कोई भी ऐसा व्यक्ति प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा जो इलाहाबाद बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी है।
- viii. प्रॉक्सी फॉर्म में सभी संशोधन विधिवत अधिप्रमाणित होने चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक के “उपयुक्त एवं समुचित” मानदंड संबंधी दिशानिर्देश :

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (3ए) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना बीसी क. 46 तथा 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01 नवंबर, 2007 जारी की है, जिसमें बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकों के निदेशक मंडल में निर्वाचित हुए व्यक्तियों द्वारा पूरे किए जाने वाले “उपयुक्त एवं समुचित” मानदंड का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।

अधिसूचना की प्रमुख विशेषताएं :

“उपयुक्त एवं समुचित” स्थिति आदि का निर्णय करने संबंधी प्राधिकार, पद्धति/प्रक्रिया एवं मानदंड निम्नानुसार हैं :

ए. प्राधिकार :

सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों से अपेक्षित है कि वे एक “नामांकन समिति” का गठन करें जिसमें निदेशक मंडल से (सभी स्वतंत्र/गैर-कार्यपालक निदेशक) न्यूनतम तीन निदेशक शामिल हों। निदेशक मंडल द्वारा उनमें से एक निदेशक को नामांकन समिति का अध्यक्ष नामित करना चाहिए। कोरम में अध्यक्ष को मिलाकर



iii. Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

Voting by duly authorized representative:

Regulation 69:

- i. A shareholder, being the Central Government or a Company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of its officers or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorized (referred to as a “duly authorized representatives” in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or the Company which he represents, as if he were an individual shareholder of the Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as a duly authorized representative of the Central Government/ Company.
- ii. No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorized representative of the Company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

Proxies:

Regulation 70:

- i. No instrument of proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/ her attorney, duly authorized in writing, or in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorized in writing, or in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorized in writing.
Provided that an instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub- Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of the Allahabad Bank.
- ii. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof deposited at the Head Office of the Bank or at any other place duly notified by the Bank in this regard, not less than **FOUR DAYS** before the date fixed for the meeting, together with the Power of Attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.
- iii. No instrument of the proxy shall be valid unless it is in Form “B”
- iv. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- v. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one Form shall be executed.
- vi. The grantor of an instrument of proxy under this regulation shall not be entitled to vote in person at the Meeting to which such instrument relates.
- vii. No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Allahabad Bank.
- viii. All alterations in the Proxy Form should be duly authenticated.

RBI'S FIT AND PROPER CRITERIA GUIDELINES:

Reserve Bank of India (RBI), in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of undertakings) Act 1970/1980 has issued notification DBOD.BC. No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated November 01,2007 laying down specific “Fit and Proper” Criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Board of the Banks under the provisions of Section 9 (3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980.

SALIENT FEATURES OF THE NOTIFICATION:

The Authority, Manner/ Procedure and Criteria for deciding the “Fit and Proper” status etc., are as under:

a) Authority:

All the nationalized banks are required to constitute a “nomination committee” consisting of a minimum of three directors (all independent/non-executive directors) from amongst the Board of Directors. The Board of Directors should also nominate one among them as Chairman of the nomination committee. The quorum required is three,



तीन सदस्य होने जरूरी है। यदि नामित व्यक्तियों में से कोई अनुपस्थित रहता है तो निदेशक मंडल उसके स्थान पर किसी अन्य स्वतंत्र निदेशक को आगामी बैठक के लिए नामित कर सकता है। नामांकन समिति का गठन करते समय बोर्ड इसकी अवधि का भी निर्धारण कर सकता है।

बी. पद्धति एवं प्रक्रिया :

नामांकन समिति को उक्त अधिनियम धारा 9(3)(i) के तहत मौजूदा चुने हुए निदेशकों/निदेशक के रूप में चुने जाने वाले व्यक्तियों की 'उचित एवं समुचित' हैसियत का निर्धारण करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए बैंकों को संलग्न फॉर्म में (अनुबंध-1 में) मौजूदा चुने गए निदेशकों/निर्वाचन के लिए नामांकन दाखिल करने वाले व्यक्ति से आवश्यक सूचना एवं घोषणा प्राप्त कर लेनी चाहिए। नामांकन समिति को चुने जाने वाले व्यक्तियों के मामले में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से पहले बैठक करनी चाहिए और निर्णय करना चाहिए कि निम्नांकित मानदंडों के आधार पर निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की उम्मीदवारी को स्वीकार किया जाए या नहीं। समिति के विचार विमर्श को औपचारिक कार्यवृत्त के रूप में रिकार्ड में दर्ज किया जाना चाहिए और यदि मौजूदा तथा नए निदेशकों के संबंध में वोटिंग हुई हो तो उसे भी नोट किया जाना चाहिए। हस्ताक्षरित घोषणा में दी गई सूचना के आधार पर नामांकन समिति को प्रत्याशी की स्वीकृत या अन्यथा रूप में निर्णय करना चाहिए तथा जहां कहीं आवश्यक हो समुचित प्राधिकारी/व्यक्तियों के समक्ष अभिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए ताकि आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

सी. मानदंड :

नामांकन समिति को चुने हुए मौजूदा निदेशकों/प्रस्तावित प्रत्याशियों की 'उपयुक्त एवं समुचित' स्थिति का निर्धारण निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर करना चाहिए :

- (i) शैक्षणिक योग्यता
- (ii) अनुभव तथा विशेषज्ञता का क्षेत्र
- (iii) ट्रैक रिकार्ड तथा निष्ठा

(उपरोक्त सूची उदाहरण स्वरूप है, व्यापक नहीं)

नामांकन समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या उपरोक्त मानदंडों में से किसी के अनुपालन से चुने हुए मौजूदा निदेशकों/प्रस्तावित प्रत्याशी को बैंक के निदेशक के रूप में अपने कार्य दायित्व का निर्वाह करने में रुकावट होगी। इसी क्रम में किसी प्राधिकारी/विनियामक निकाय को प्रतिकूल सूचना प्राप्त होने या किसी बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण की अदायगी में चूककर्ता या दिवालिया होने पर संबंधित उम्मीदवार को बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक होने के लिए अयोग्य एवं अनुचित माना जाएगा।

डी. अन्य मामला :

यह वांछनीय है कि जनहित में यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि चुने हुए निदेशकों द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को प्रसविदा विलेख निष्पादित किया जाए (जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रांक डीबीडीओ. क्र. बीसी 116/08.139.001/2001-02 दिनांक 20 जून, 2002 के अनुसार डॉ. गांगुली समूह द्वारा सिफारिश की गयी है)।

यह भी बाध्यकारी है कि सभी निर्वाचित निदेशकों द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को यह साधारण घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाए कि जो सूचना उन्होंने पहले प्रस्तुत की है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और जहां कहीं भी कोई परिवर्तन हुआ है, वहां निदेशकों द्वारा आवश्यक विवरण तुरंत प्रस्तुत कर दिए गए हैं। यदि कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है तो समिति को समुचित सावधानी वरतनी चाहिए तथा निदेशक की "उपयुक्त तथा समुचित" हैसियत का पुनरीक्षण करना चाहिए।

अंशकालिक अशासकीय निदेशक के चयन हेतु दिशानिर्देश - भारत सरकार के दिशानिर्देश दिनांक 01.06.2011 जिन्हें भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 3 सितंबर, 2013 के अनुसार लागू किया गया।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं आदि के निदेशक मंडल में अंशकालिक अशासकीय निदेशक (एनओडी) के नामांकन हेतु निम्नलिखित मानदंड अपनाए जाने चाहिए।

सामान्य :

1. नामांकन संबद्ध अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।
2. नामित की उपयुक्तता सामान्य शैक्षणिक योग्यता, विशेषज्ञता, ट्रैक रिकॉर्ड, निष्ठा आदि की शर्तों के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए। सत्यनिष्ठा तथा उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए आपराधिक रिकॉर्ड, वित्तीय स्थिति, वैयक्तिक कर्जों के लिए की गई दीवानी कार्रवाई, व्यावसायिक निकायों में प्रवेश की अनुमति न देना या वहां से निकाल देना। विनियामकों तथा ऐसे निकायों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध तथा पिछली संदेहात्मक व्यावसायिक व्यवहारों आदि को आधार बनाया जाना चाहिए।
3. सामान्यतः कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कानून, मार्केटिंग, उद्योग एवं आईटी के क्षेत्र में विशेष शैक्षणिक प्रशिक्षण प्राप्त या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों पर विचार किया जाएगा।
4. जहां तक संभव हो, महिलाओं तथा अजा/अजजा के व्यक्तियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए।

शिक्षा :

अशासकीय निदेशक (एनओडी) को कम से कम स्नातक होना चाहिए।

किसानों, जमाकर्ताओं तथा दस्तकारों के मामले में एसीसी के अनुमोदन से शैक्षणिक योग्यता में छूट दी जा सकती है (निदेशक मंडल की नामांकन समिति विवेकानुसार छूट देने हेतु अधिकृत है)।



including the Chairman. In case of absence of any member already nominated, the board of directors may nominate any other independent director in his place for the ensuing meeting. At the time of constituting the nomination committee the board can decide on its tenure.

b) Manner and procedure:

The nomination committee should undertake a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of existing elected directors/the person to be elected as a director under Sec 9 (3)(i) of the Act *ibid*. For this purpose, the banks should obtain necessary information and declaration, in the format enclosed (Annexure-1), from the existing elected directors/persons, who file their nominations for election. The nomination committee should meet before the last date of acceptance of nominations in case of candidate to be elected and decide whether or not the person's candidature should be accepted based on the criteria mentioned below. The committee's discussions should be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting if done should also be noted in case of both existing and proposed Directors. Based on the information provided in the signed declaration, Nomination Committee should decide on the acceptance or otherwise of the candidate and may make references, where considered necessary to the appropriate authority/persons, to ensure their compliance with the requirements indicated.

c) Criteria

The nomination committee should determine the 'fit and proper' status of the existing elected directors/proposed candidates based on the broad criteria as mentioned hereunder:

- (i) Educational qualification (ii) Experience and field of expertise (iii) Track record and integrity

(The above list is only illustrative and not exhaustive.)

The Nomination Committee should see whether the non-adherence to any of the above criteria would hamper the existing elected director/proposed candidate from discharging the duties as a director on the Board of the bank. Further, the candidate coming to the adverse notice of any authority/regulatory agency or insolvency or default of any loan from any bank or financial institution would make the candidate unfit and improper to be a director on the Board of a bank.

d) Other matters

It is desirable that it is ensured, in the public interest, that the elected directors execute the deed of covenants (as recommended by the Dr. Ganguly Group vide RBI circular DBOD. No.BC.116/08.139.001/2001-02 dated 20th June 2002 and also every year as on 31st March.

It is also mandatory that all the elected directors must furnish a simple declaration every year as on 31st March that the information already provided by them has not undergone any change and where there is any change, requisite details are furnished by the directors forthwith. If there are any significant changes, the nomination committee should undertake the due diligence exercise afresh and examine the 'fit and proper' status of the director.

GUIDELINES FOR SELECTION OF PART-TIME NON-OFFICIAL DIRECTOR - GOI GUIDELINES DATED 01.06.2011 as made applicable vide GOI Office Memorandum dated 3rd September 2013:

The following criteria may be adopted for nomination of part-time non-official directors (NOD) on the boards of public sector banks/financial institutions etc.

GENERAL :

1. Nominations will be made keeping in view the provisions of the relevant Acts/Rules.
2. The suitability of nominees may be assessed in terms of formal qualification and expertise, track record, integrity etc. For assessing integrity and suitability, information on criminal records, financial position, civil actions undertaken to pursue personal debts, refusal of admission to or expulsion from professional bodies, sanctions applied by regulators and similar bodies and previous questionable business practices etc. will be relied upon.
3. Persons with special academic training or practical experience in the fields of agriculture, rural economy, banking, cooperation, economics, business management, human resources, finance, law, marketing, industry and IT will ordinarily be considered.
4. As far as possible representation may also be given to women and the persons belonging to SC/ST community.

EDUCATION :

An NOD should at least be a graduate.

Educational qualifications may be relaxed with the approval of Appointments Committee of the Cabinet (ACC) in case of farmers, depositors and artisans. (Nomination Committee of the Board is empowered to relax at their discretion)



आयु :

निदेशक की आयु, नियुक्ति बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश की तारीख को 35 वर्ष से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस संबंध में और छूट अपेक्षित नहीं है, तथापि, एसीसी के अनुमोदन से अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जा सकती है तथा इसके कारणों को मंत्रालय द्वारा रिकार्ड किए जाने चाहिए।

कार्य अनुभव :

पेशवर व्यक्तियों/शिक्षाविदों को संबंधित विशिष्ट क्षेत्र में सामान्यतः 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

अयोग्यता :

1. यदि कोई निदेशक पहले से ही किसी भी श्रेणी के अंतर्गत किसी बैंक/वित्तीय संस्था में निदेशक के रूप में कार्यरत हो तो उसे किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था में एनओडी के रूप में नामांकन पर विचार न किया जाए।
2. किराया खरीद, वित्त पोषण, निवेश, लीजिंग या अन्य पैरा-बैंकिंग कार्यकलापों से जुड़े हुए व्यक्ति, एम पी, एमएलए, एमएलसी तथा स्टॉक ब्रोकर को बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के निदेशक मंडल में अशासकीय निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
3. किसी भी व्यक्ति को, जो पहले बैंक/वित्तीय संस्था के बोर्ड में लगातार किसी भी श्रेणी में दो कार्यकाल या 6 वर्ष, जो भी अधिक हो, निदेशक के रूप में सेवा कर चुका है, एनओडी के रूप में पुनः नामांकित नहीं किया जा सकता।
4. किसी भी एनओडी को बैंक/वित्तीय संस्था के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित नहीं किया जा सकता है, यदि वह निदेशक पहले से ही किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था के बोर्ड में 6 वर्षों तक लगातार या अलग-अलग समय पर एनओडी/शेयर धारक निदेशक रहा है (अशासकीय निदेशकों के लिए 6 वर्षों के लिए दो कार्यकालों का सामान्य नियम सीए श्रेणी के अंतर्गत भी निदेशक नियुक्त करने में लागू किया जाना चाहिए)।

व्यावसायिक प्रतिबंध

1. एनओडी किसी बैंक/वित्तीय संस्था के निदेशक के रूप में कार्यालय छोड़ने के बाद, दो वर्षों तक उस बैंक/वित्तीय संस्था का कोई भी कार्य स्वीकार नहीं करेगा/न उसे कोई कार्य आर्बटित किया जाएगा।
2. किसी बैंक में एनओडी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, वह निदेशक उस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में कोई व्यावसायिक कार्य (सांविधिक लेखा परीक्षा, संगामी लेखा परीक्षा, विधिक प्रतिधारण शुल्क या वकील के रूप में एम्प्लॉयमेंट आदि) नहीं करेगा। भारतीय स्टेट बैंक के मामले में ऐसे प्रतिबंध सहयोगी बैंकों को भी कवर करेंगे, तथापि किसी अन्य बैंक/बीमा कंपनी के मामले में फर्म को ऐसा कार्य करने की अनुमति होनी चाहिए बशर्ते कि अशासकीय निदेशक उस फर्म के व्यवसाय के उस भाग को जहां हितों का टकराव हो सकता है, संचालित करने से स्वयं को अलग कर ले।
3. यदि कोई व्यक्ति, जो बैंक के साथ व्यावसायिक संबंध रखता है, इसमें सहकारी बैंक भी शामिल हैं, किसी बैंक के निदेशक मंडल में नामांकित होने के लिए चुना जाता है तो उसे ऐसी नियुक्ति से पहले उस बैंक के साथ अपने संबंध विच्छेद कर लेने चाहिए।
4. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में उन व्यावसायिकों को नामित नहीं किया जाएगा जिनके साथ ऐसे नामांकन की तारीख से पिछले तीन वर्षों के दौरान उनका व्यावसायिक संबंध रहा है।

क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व

यह प्रयास किया जाना चाहिए कि समग्र रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बोर्ड में देश के सभी छह मंडलों - उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य एवं पूर्वोत्तर का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाय।

निदेशकों तथा अन्य प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों का हित :

बैंक के निदेशक एवं अन्य प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति अपनी शेयरधारिता की सीमा तक और ऐसे निदेशक जो अपना नामांकन दाखिल करते हैं वे उपर्युक्त कार्य की मदों से संबद्ध या इच्छुक माने जाएंगे।

मद सं. 2 :

भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को अधिमानी आधार पर ईक्विटी शेयर जारी किया जाना

(ए) अधिमानी निर्गम का उद्देश्य :

सतत परिवर्तनशील व्यावसायिक परिदृश्य के साथ - साथ बासेल III के मानदंडों के अनुपालनार्थ, अपने उर्ध्वमुखी व्यवसाय स्तर की व्यवस्था, विशेष रूप से बासेल III के मानदंडों के कार्यान्वयन हेतु बैंक को अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है। बैंक की पूंजी पर्याप्तता को बढ़ाने एवं बैंक की सामान्य व्यावसायिक आवश्यकता को निधि प्रदान करने में वर्धित पूंजी का प्रयोग किया जाएगा।

(बी) इश्यू मूल्य निर्धारित किए जाने हेतु संगत तिथि शुक्रवार, 06 फरवरी, 2015 है।

(सी) इश्यू मूल्य का निर्धारण सेबी (आईसीडीआर) अधिनियम के अध्याय VII, अद्यतन यथा संशोधित, में यथावर्णित अधिमानी इश्यू हेतु यथा प्रयोज्य विनियम के अनुसार निर्धारित है।

(डी) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग ने दिनांक 09.02.2015 के अपने पत्र संख्या एफ संख्या 7/38/2014-BOA द्वारा ₹ 320.00 करोड़ (रुपये तीन सौ बीस करोड़ मात्र) तक पूंजीगत निधि प्रदान करने का निर्णय सूचित किया है। इस प्रकार समस्त अधिमानी निर्गम भारत सरकार- बैंक के प्रमोटर द्वारा अभिदत्त किया जाएगा।

**AGE :**

The age of the Director, on the date of recommendation by Appointments Board, [should be between 35 years and 65 years. No further relaxation is desirable. However, the upper age limit may be relaxed only with the approval of the ACC and for reasons to be recorded by the Ministry].

WORK EXPERIENCE :

Professionals/academicians should ordinarily have 10 years of work experience in the particular field.

DISQUALIFICATION:

1. A director already on a Bank/FI, under any category, may not be considered for nomination as NOD on any other Bank/FI.
2. Persons connected with hire purchase, financing, investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as non-official directors on the boards of Banks/Fls.
3. No person may be re-nominated as a NOD on the Board of a Bank/ FI on which he/she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.
4. An NOD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank/FI if such Director has already been a NOD / shareholder-Director on the board of any other Bank/FI for six years, whether continuously or intermittently. [The general rule of two terms for six years for Non-Official Directors should apply to the Directors appointed under CA Category also].

PROFESSIONAL RESTRICTION :

1. NOD will not accept/will not be allotted any work of the Bank/FI for two years after demitting office as Director of that Bank/FI.
2. During his term as NOD on any Bank, such Director will not undertake any professional work (statutory audit, concurrent audit, legal retainer ship or empanelment as a lawyer etc.) in that Public Sector Bank. In the case of SBI, such restrictions will cover Associate Banks as well.
However, in respect of any other bank / insurance company, the firm should be allowed to be engaged, provided the non official director recluses himself/herself from handling that part of the business of the firm, where there may be a conflict of interest.
3. If a person having professional relationship with bank, including cooperative bank, is selected for being nominated on the board of any bank, he will have to sever his connection with the bank before such appointment.
4. Professionals shall not be nominated on the Board of a PSB with which they have had a business relationship during the last 3 years before such nomination.

REGIONAL REPRESENTATION:

Effort should be made to ensure representation of all the six zones of the country - North, South, East, West, Central and North-East - on the Boards of Public Sector Banks taken together.

INTEREST OF DIRECTORS AND OTHER KEY MANAGERIAL PERSONS

Directors of the Bank and other Key Managerial Persons to the extent of their shareholding and such Directors who file their nominations may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid item of business.

ITEM NO. 2**ISSUANCE OF EQUITY SHARES TO GOVERNMENT OF INDIA (PRESIDENT OF INDIA) ON PREFERENTIAL BASIS****a) Objects of the Preferential Issue:**

To cater to its increasingly growing business level in the continually changing business scenario as well as to comply with the BASEL-III norms, the Bank needs additional capital, particularly for implementation of BASEL-III norms. The capital raised would be utilized to shore up the capital adequacy of the Bank and to fund the general business needs of the Bank.

b) The Relevant Date for ascertaining the Issue Price is Friday, the 06th February, 2015.

c) The Issue Price is determined in accordance with the Regulations as applicable for Preferential Issues as contained in Chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations as amended upto date.

d) The Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services vide their letter No. F. No. 7/38/2014-BOA dated 09.02.2015, has conveyed its decision to infuse capital funds to the tune of ₹ 320.00 crore (Rupees three hundred twenty crore only). **As such the entire preferential issue will be subscribed by the Government of India- the Promoter of the Bank.**



(ई) इश्यू पूर्व एवं पश्चात् शेयरधारिता का स्वरूप

क्रम सं.	श्रेणी	निर्गम से पूर्व		निर्गम के पश्चात	
		शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत (%)	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत (%)
ए	प्रोमोटर शेयरधारिता (भारत सरकार)	320798565	58.90	347567847	60.83
बी	गैर प्रोमोटर शेयरधारिता	223810771	41.10	223810771	39.17
	कुल	544609336	100.00	571378618	100.00

(एफ) बैंक सेबी (आईसीडीआर) विनियमन में यथा वर्णित निर्धारित समय सीमा के अन्दर इश्यू संबंधी प्रक्रिया पूर्ण करने का प्रयास करेगा।

(जी) चूंकि समस्त इश्यू भारत सरकार, बैंक के सबसे बड़े शेयरधारक तथा बैंक के प्रोमोटर को जारी किया जा रहा है, अतः नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) का इश्यू पूर्व एवं पश्चात शेयरधारिता निम्नानुसार होगी :

	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत (%)
निर्गम पूर्व	320798565	58.90
निर्गम पश्चात	347567847	60.83

(एच) बैंक का ईक्विटी शेयर छब्बीस सप्ताह (6 माह) से अधिक हेतु सूचीबद्ध रहा है और तदनुसार, सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के विनियमन 76(3) तथा 78(5) के प्रावधान प्रयोज्य नहीं हैं।

(आई) भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को जारी किए गए सभी नए ईक्विटी शेयर ट्रेडिंग संबंधी अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि से तीन वर्षों हेतु अवरूद्ध रहेंगे।

(जे) सांविधिक लेखापरीक्षक (कों) द्वारा यह अभिप्रमाणित करते हुए कि इन विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप इश्यू जारी किए गए हैं, संबंधी प्रमाण-पत्र असाधारण आमसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(के) भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) द्वारा धारित सभी शेयर अमूर्त रूप में रहेंगे तथा बैंक स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ सूचीबद्धता करार में यथा उल्लिखित ईक्विटी शेयरों की सतत सूचीबद्धता की शर्तों के अनुपालनाधीन है। भारत सरकार ने संगत तिथि के पूर्व के छः माह के दौरान बैंक का कोई भी ईक्विटी शेयर नहीं बेचा है।

(एल) भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) की समस्त पूर्व अधिमानी शेयरधारिता संगत तिथि से, स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा नए आबंटित शेयरों हेतु ट्रेडिंग संबंधी अनुमोदन प्रदान किए जाने की तिथि से छह महीनों की अवधि तक अवरूद्ध रहेगी।

(एम) चूंकि बैंक का ईक्विटी शेयर सूचीबद्धता करार के खंड 23 के अनुरूप स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं, अतः शेयरधारकों के लिए और किसी अन्य प्रतिभूति, जो उन्हें यदि अनुपातिक आधार पर प्रदान नहीं की गई हो, के इश्यू को अनुमोदित करना आवश्यक है।

(एन) बैंक, सेबी आईसीडीआर विनियमन, 2009 यथासंशोधित के प्रावधानों के अनुरूप ईक्विटी शेयर के मूल्य की, जहां आवश्यक हो, पुनर्संगणना करेगा।

(ओ) बैंक यह वचन देता है कि यदि मूल्य की पुनर्संगणना के कारण देय राशि का भुगतान इन विनियमों में निर्धारित समय के अन्दर नहीं किया जाता है तो संबंधित प्रतिभूतियों को उस समय तक अवरूद्ध रखा जाएगा जब तक कि ऐसी राशि का आबंटित द्वारा भुगतान नहीं कर दिया जाता।

निदेशक मंडल नोटिस की कार्यसूची मद सं. 2 में यथा वर्णित विशेष संकल्प की आपके अनुमोदन हेतु संस्तुति करता है।

निदेशकों तथा अन्य प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों का हित

बैंक के किसी भी निदेशक तथा प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों की अपने संबंधियों सहित बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा के अलावा उपर्युक्त संकल्प (संकल्पों) में रूचि अथवा संबंध नहीं है।

मद सं. 3 : अर्हताप्राप्त संस्थागत संस्थान (क्यूआईपी) के माध्यम से अन्य को ईक्विटी शेयर जारी किया जाना

(ए) विभिन्न उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन किए जाने के पश्चात एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गनिर्देशों, संदर्भ सं. डीबीओडी. सं. बीपी.बीसी. 42/21.01.002/2007-08 दिनांकित 29.10.2007 के द्वारा विभिन्न प्रकार के टायर-I तथा टायर-II लिखितों के माध्यमों से पूंजी बाजार से अपनी पूंजी बाजार से अपनी पूंजी उगाहने हेतु अनुमति के साथ-साथ भारत सरकार के पत्र सं. एफ.सं. 11/7/2008-बीओए (पीटी) दिनांकित 19.12.2014 के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भारत सरकार की धारिता को 52% तक कम कर कर एफपीओ या क्यूआईपी के माध्यम से बाजार से पूंजी उगाहने की अनुमति को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थान (क्यूआईपी) के पूंजी माध्यम से इक्विटी शेयर जारी कर ₹ 500.00 करोड़ (रुपये पांच सौ करोड़



e) Shareholding Pattern before and after the Issue

Sl. No.	Category	Before the Issue		After the Issue	
		No. of Shares	Percentage of Shareholding (%)	No. of Shares	Percentage of Shareholding (%)
A	Promoter's Holding (Government of India)	320798565	58.90	347567847	60.83
B	Non-Promoters' Holding	223810771	41.10	223810771	39.17
	Total	544609336	100.00	571378618	100.00

- f) The Bank will endeavour to complete the issue process within the prescribed timelines as indicated in SEBI (ICDR) Regulations.
- g) As the entire issue is being made to the Government of India, the major shareholder and promoter of the Bank, there would not be any change in control.

The Pre and Post issue shareholding of the Government of India (President of India)would be as under:

	Number of Shares	Percentage to Shareholding (%)
Pre-issue	320798565	58.90
Post-issue	347567847	60.83

- h) The equity shares of the Bank have been listed for more than twenty six weeks (six months) and accordingly, provisions of Regulation 76(3) and 78(5) of SEBI ICDR Regulations are not applicable.
- i) All the new equity shares issued to the Government of India (President of India) shall be locked-in for a period of three years from the date of Trading Approval.
- j) The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.
- k) All the shares held by the Government of India (President of India) are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed. The Government of India has not sold any equity share of the Bank during the six months preceding the relevant date.
- l) The entire pre-preferential holding of the Government of India (President of India) shall be locked in from the Relevant Date upto a period of six months from the date of Trading Approval granted for the newly allotted shares by the Stock Exchanges.
- m) As the equity shares of the Bank are listed with the Stock Exchanges pursuant to Clause 23 of the Listing Agreement, it is necessary for the shareholders to approve issue of any further security if not offered to them on a proportionate basis.
- n) The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI ICDR Regulations where it is required to do so.
- o) The Bank undertakes that if the amount payable on account of the re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked-in till the time such amount is paid by the allottee.

The Board of Directors recommends for your approval of the Special Resolution as set out in Agenda Item No. 2 of the Notice.

INTEREST OF DIRECTORS AND OTHER KEY MANAGERIAL PERSONS

None of the Directors and Key Managerial Persons of the Bank including their relatives are interested or concerned in the aforementioned Special Resolution, except to the extent of their shareholding in the Bank.

ITEM NO. 3

ISSUANCE OF EQUITY SHARES TO OTHERS THROUGH QUALIFIED INSTITUTIONS PLACEMENT (QIP)

- a) After evaluating the various available alternatives as well as taking into consideration the Reserve Bank of India's guidelines bearing Reference No. DBOD.No.BP.BC.42/21.01.002/2007-08 dated 29.10.2007 permitting the Banks to access capital market for their raising capital through different types of Tier-1 and Tier-2 instruments as also the Guidelines from the Govt. of India vide letter No. F.No.11/7/2008-BOA(Pt.) dated 19.12.2014 allowing the Public Sector Banks to raise capital from market through FPO or QIP by diluting Govt. of India holding upto 52.00%, the Bank has planned to access capital market for raising capital upto the extent of ₹ 500.00 crore



मात्र) तक की सीमा तक पूंजी उगाही के लिए एक या अधिक चरणों में तथा बैंक के सर्वोत्तम हित में यथा उपयुक्त शर्तों के अध्वधीन इस रूप में पूंजी बाजार में प्रवेश करने की योजना बनाई है कि बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी में भारत सरकार की धारिता 52.00% से कम नहीं हो पाएगी।

- (बी) यह नोट किया जाए कि शेयरधारकों के अनुमोदन के अलावा अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के माध्यम से बाजार से इक्विटी शेयर का मुद्दा एतद्संबंधी सभी प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों, सांविधिक/विनियामक मार्गनिर्देशों के अनुपालन एवं भारत सरकार तथा/या भारतीय रिज़र्व बैंक के आवश्यक अनुमति/अनुमोदन के अध्वधीन होगी।
- (सी) यह संकल्प यथासंशोधित सेबी (आईसीडीआर) विनियमन, 2009 के अध्वय VIII के अनुसार यथा परिभाषित अर्हताप्राप्त क्रेताओं के साथ अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन हेतु निदेशक मंडल को शक्ति संपन्न करना चाहता है। बैंक हेतु निधियों की उगाही के लिए यथासंशोधित सेबी (आईसीडीआर) विनियमन, 2009 में यथानिर्धारित इस कार्यप्रणाली को निदेशक मंडल, शेयरधारकों से नई अनुमति प्राप्त किए बिना अपने विवेकानुसार अंगीकृत कर सकेगा।
- (डी) यथासंशोधित सेबी (आईसीडीआर) विनियमन, 2009 के अध्वय VIII की शर्तों के अनुसार, क्यूआईपी आधार पर प्रतिभूतियों का निर्गम केवल उसी मूल्य पर किया जा सकेगा जो “संगत तिथि” पूर्व के दो सप्ताहों के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में उद्धरित शेयरों के अंतिम मूल्य के साप्ताहिक उच्च एव न्यून के औसत से कम नहीं हो।
- (ई) “संगत तिथि” से तात्पर्य बैंक के निदेशक मंडल या समिति द्वारा क्यूआईपी इश्यू को जारी करने का निर्णय लेने की बैठक की तिथि है।
- (एफ) इक्विटी शेयर जारी किए जाने हेतु विस्तृत शर्तों जब कभी किया जाए, का निर्धारण, निदेशक मंडल द्वारा मर्चेट बैंकर, लीड प्रबंधकों, परामर्शदाताओं, अन्य मध्यस्थों तथा बैंक द्वारा बाजार की मौजूदा स्थितियों एवं अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए जैसा भी आवश्यक हो, ऐसे अन्य प्राधिकारियों के परामर्श से किया जाएगा। यह संकल्प ऐसे समय या समयों में एक या एकाधिक बार, तथा ऐसे मूल्य या मूल्यों पर तथा ऐसे निवेशकों यथा इनमें वर्णित, को जिसे निदेशक मंडल अपने सम्पूर्ण विवेकाधिकार में उचित समझे, इक्विटी शेयर जारी करने हेतु निदेशक मंडल को शक्ति प्रदान करना चाहता है।
- (जी) उपयुक्त कारणों हेतु, इश्यू के शर्तों को अन्तिम रूप देने के लिए निदेशक मंडल को पर्याप्त लचीलापन एवं विवेकाधिकार प्रदान करने हेतु एक सशक्त प्रस्तावित है।
- (एच) जारी किए गए इक्विटी शेयर, लाभांश सहित सभी मामलों में बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयर के समतुल्य माना जाएगा।
- (आई) इस प्रयोजनार्थ, बैंक द्वारा एक विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की सहमति प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।
- (जे) प्रतिकूल बाजार स्थितियों तथा भारत सरकार से अपेक्षित अनुमोदन की प्राप्ति में विलम्ब के कारण, दिनांक 24.12.2013 को आयोजित बैंक की असाधारण आमसभा में अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के माध्यम से बैंक की इक्विटी पूंजी को ₹ 320.00 करोड़ (प्रीमियम सहित) तक बढ़ाने हेतु शेयरधारकों की पूर्व प्रदत्त सहमति/अनुमोदन को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका।

सूचना की कार्यसूची मद सं. 3 में यथा वर्णित विशेष संकल्प का आपके अनुमोदनार्थ निदेशक मंडल अनुशंसा करता है।

निदेशकों तथा अन्य प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों का हित

बैंक के किसी भी निदेशक तथा प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों का अपने संबंधियों सहित, बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक के अलावा उपर्युक्त विशेष संकल्प में कोई रुचि या संबंध नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश से

(राकेश सेठी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 09 फरवरी, 2015



(Rupees five hundred crore only) (including premium) by issuing equity shares by way of Qualified Institutions Placement (QIP) in one or more tranches and subject to terms and conditions as may deem fit in the best interest of the Bank in such a manner that the Government of India shall continue to hold not less than 52.00 % of the paid-up Equity Capital of the Bank.

- b) It may be noted that apart from the approval of the shareholders, the issue of equity shares by way of Qualified Institutions Placement (QIP) would be subject to compliance of all applicable laws, rules, regulations, statutory/regulatory guidelines in this regard and also subject to necessary permission/approval from the Government of India and/or Reserve Bank of India.
- c) The Resolution seeks to empower the Board of Directors to undertake Qualified Institutions Placement of shares with Qualified Institutional Buyers as defined in Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 as amended. The Board of Directors may in its discretion adopt this mechanism as prescribed under SEBI (ICDR) Regulations, 2009 as amended for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.
- d) In terms of Chapter VIII of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 as amended, issue of securities on QIP basis, can be made only at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date".
- e) "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.
- f) The detailed terms and conditions for the issuance of the Equity Shares as and when made will be determined by the Board in consultation with the Merchant Bankers, Lead Managers, Advisors, other intermediaries and such other authorities as may be required to be considered by the Bank considering the prevailing market conditions and other relevant factors. The Resolution seeks to give the Board powers to issue Equity Shares in one or more tranches at such time or times, at such price or prices, and to such of the Investors as are mentioned therein as the Board in its absolute discretion deems fit.
- g) For reasons aforesaid, an enabling resolution is proposed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.
- h) The equity shares issued shall rank *pari passu* in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.
- i) For this purpose, the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a Special Resolution.
- j) Owing to unfavorable market conditions and delay in receipt of requisite approval from the Govt. of India, the earlier approval/consent of the shareholders for raising the equity capital of the Bank upto ₹ 320.00 crore (Rupees three hundred twenty crore only) including premium, by way of Qualified Institutions Placement (QIP) accorded in the Extraordinary General Meeting of the Bank held on 24.12.2013 could not materialized.

The Board of Directors recommends for your approval of the Special Resolution as set out in Agenda Item No. 3 of the Notice.

INTEREST OF DIRECTORS AND OTHER KEY MANAGERIAL PERSONS

None of the Directors and Key Managerial Persons of the Bank including their relatives are interested or concerned in the aforementioned Special Resolution, except to the extent of their shareholding in the Bank.

By order of the Board of Directors



(Rakesh Sethi)

Chairman and Managing Director

Place : Kolkata

Date : 09th February, 2015



यहाँ
पासपोर्ट आकार
का फोटो चिपकाएं

व्यक्तिगत सूचना, घोषणा एवं वचनपत्र
बैंक का नाम—इलाहाबाद बैंक

दिनांक		2015 को अपेक्षित अनुलग्नकों के साथ प्रत्याशी की घोषणा एवं वचनपत्र	
I. प्रत्याशी का व्यक्तिगत विवरण			
ए	पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)		
बी	पिता का पूरा नाम		
सी	जन्म तिथि		
डी	शैक्षणिक योग्यताएँ (शैक्षिक/अकादमिक) (कृपया सूचना की पुष्टि में प्रमाणपत्रों की स्वयं प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें)		
	(शैक्षणिक/व्यावसायिक) (कृपया सूचना की पुष्टि में प्रमाणपत्रों की स्वयं प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें)		
ई	संबंधित पृष्ठभूमि एवं अनुभव (बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3-ए) में यथोपेक्षित) (कृपया बैंक के निदेशक पद से संबद्ध अपने अनुभव का उल्लेख करें) बैंक के निदेशक पद से संगत अन्य कोई जानकारी।		
एफ	स्थायी पता		
जी	वर्तमान पता		
एच	टेलीफोन एवं फैक्स नंबर		
	मोबाइल नंबर		
	ई मेल आईडी		
आई	स्थायी खाता संख्या (पैन) (कृपया पैन कार्ड की प्रतिलिपि संलग्न करें) आयकर परिमंडल/प्रभाग का नाम व पता जहाँ व्यक्तिगत कर विवरणी दाखिल की जाती है (दाखिल की गई नवीनतम आयकर विवरणी की प्रतिलिपि संलग्न करें)		
जे	सुसंगत ज्ञान एवं अनुभव (कृपया बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3ए) का संदर्भ लें एवं ज्ञान/अनुभव के प्रमाणस्वरूप स्व-प्रमाणित प्रमाणपत्र संलग्न करें।)		
के	बैंक के निदेशकत्व से संबंधित कोई अन्य सूचना		
II उम्मीदवार के सुसंगत रिश्ते			
ए	उम्मीदवार के उन रिश्तेदारों, यदि कोई हो, की सूची जो बैंक से संबंध रखते हों [कंपनी (परिभाषा का विवरण) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) का संदर्भ]		



Affix
Passport Size
Photo here

Personal Information, Declaration and Undertaking
Name of Bank-Allahabad Bank

Declaration and Undertaking by the candidate with enclosures as appropriate as on 2015.

I. Personal Details of the Candidate		
a	Full name of the Candidate (in block capital letters)	
b	Father's Name in Full	
c	Date of Birth	
d	Educational Qualification (Educational/academic) (Please attach self attested copies of certificates supporting the information)	
	Qualifications (Professional) (Please attach self attested copies of certificates supporting the information)	
e	Relevant Background and Experience As required under Section 9 (3A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970. (Please indicate your experience relevant to the directorship of the Bank) Any other information relevant to the directorship of the Bank.	
f	Permanent Address	
g	Present Address	
h	Telephone & Fax No. Mobile No. E-mail ID	
i	Permanent Account Number (PAN) (Please enclose a copy of PAN card). Name and address of the Income Tax Circle/ Division where personal tax returns are filed. (Copy of the latest IT return filed to be attached)	
j	Relevant Knowledge and Experience (Please refer section 9(3A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking Act, 1970 and attach self attested certificates evidencing knowledge/and experience)	
k	Any other information relevant to Directorship of the Bank	
II Relevant Relationships of the Candidate		
a	List of relatives of the Candidate, if any, who are connected with the Bank [Refer Section 2(77) of the Companies Act, 2013 read with Rule 4 of Companies (Specification of definitions details) Rules, 2014.]	



बी	उन कंपनियों की सूची, यदि कोई हो, जिनमें उम्मीदवार का हित निहित हो [कंपनी (बोर्ड की बैठकें एवं शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 9 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(49) एवं धारा 184 का संदर्भ]	
सी	कंपनियों की सूची जिनमें उम्मीदवार बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5(एनई) की परिभाषा के अंतर्गत प्रस्तावित अथवा वर्तमान पर्याप्त हित धारित करता हो	
डी	बैंक का नाम जिनमें उम्मीदवार बोर्ड का सदस्य है या रहा है (धारित पद की अवधि का विवरण दें)	
ई	बैंक से उम्मीदवार द्वारा या उपर्युक्त कॉलम II(बी) एवं (सी) में दी गई किसी कंपनी द्वारा वर्तमान में उपभुक्त निधि एवं गैर-निधि सुविधाएँ, यदि कोई हो	
एफ	ऐसे मामले, यदि कोई हो, जिनमें उम्मीदवार या कॉलम II(बी) एवं (सी) में दी गई कंपनियाँ, हमारे बैंक या अन्य किसी बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में पूर्व में चूककर्ता रहे हैं/चूककर्ता हैं	
III व्यावसायिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड		
ए	संबंधित व्यावसायिक उपलब्धियाँ	
IV उम्मीदवार के विरुद्ध की गई कार्रवाई, यदि कोई हो		
ए	यदि उम्मीदवार किसी व्यावसायिक संगठन/निकाय का सदस्य हो तो कृपया उम्मीदवार के विरुद्ध लंबित या शुरु की गई या पूर्व में दोषसिद्ध में परिणत अनुशासनिक कार्रवाई, यदि कोई हो, का विवरण या क्या उम्मीदवार को कभी किसी व्यवसाय/रोजगार में प्रवेश लेने से रोका गया है।	
बी	आर्थिक विधि तथा विनियमों के उल्लंघन हेतु उम्मीदवार तथा अथवा II(बी) तथा (सी) में सूचीबद्ध कंपनियों के विरुद्ध लंबित अथवा प्रारंभ किए गए अथवा पूर्व में दोषसिद्ध अभियोग का विवरण, यदि कोई हो।	
सी	उम्मीदवार के विरुद्ध पूर्व में शुरु किए गए या लंबित या दोषसिद्ध में परिणत आपराधिक अभियोग का विवरण, यदि हो।	
डी	क्या उम्मीदवार में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 के अंतर्गत कोई अयोग्यता आकर्षित करता है ?	
ई	क्या उम्मीदवार या उक्त कॉलम II(बी) एवं (सी) में दी गई कंपनियों में से किसी के विरुद्ध सरकारी विभाग या एजेंसी के अनुरोध पर कोई जाँच की गई ?	
एफ	क्या उम्मीदवार कभी नियमों/विनियमों/सीमा/उत्पाद/आयकर/विदेशी विनियम/अन्य राजस्व प्राधिकरणों की वैधानिक अपेक्षाओं का उल्लंघन करते हुए दोषी पाया गया है ? यदि ऐसा है तो कृपया विवरण दें।	



	b	List of entities if any in which he/she is considered as being interested [Refer Section 2(49) and Section 184 of Companies Act, 2013 read with Rule 9 of Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014]	
	c	List of entities in which he/she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5 (ne) of the Banking Regulation Act, 1949, proposed or existing.	
	d	Name of Bank(s) in which he/she is or has been a member of the Board (provide details of period during which such office was held).	
	e	Fund and Non Found Facilities, if any, presently availed of by him/her and/or by entities listed in II (b) and (c) above from the Bank.	
	f	Cases, if any, where the candidate or entities listed in II (b) and (c) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the Bank or any other Bank.	
III Records of professional achievements			
	a	Professional achievements relevant	
IV Proceedings, if any, against the Candidate			
	a	If the candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate or whether the candidate has been banned from entry of any profession/occupation at any time.	
	b	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate and/or against any of the entities listed in II(b) and (c) above for violation of economic laws and regulations.	
	c	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced resulting in conviction in the past against the candidate.	
	d	Whether the candidate attracts any of the disqualification envisaged under Section 164 of the Companies Act 2013?	
	e	Has the candidate or any of the entities listed in II(b) and (c) above been subject to any investigation at the instance of Government Department or Agency?	
	f	Has the Candidate at any time been found guilty of violation of rules/regulations/legislative requirements by customs/excise/income tax/foreign exchange/other revenue authorities? If so, please furnish particulars?	



	<p>जी क्या उम्मीदवार ने कभी सेबी, आईआरडीए, डीसीए, आरबीआई, एमसीए, फेमा, सिबिल इत्यादि जैसे विनियामक से प्रतिकूल नोटिस प्राप्त की है ?</p> <p>(यद्यपि किसी अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह विनियामकों द्वारा दिए गए आदेशों और निष्कर्षों, जिन्हें बाद में पूर्णतः बदल दिया गया/रद्द कर दिया गया, का उल्लेख करें, किन्तु यदि बदलाव/रद्द करना, सीमांकन अथवा क्षेत्राधिकार इत्यादि जैसे तकनीकी कारणों से किया गया हो तो इनका उल्लेख करना आवश्यक होगा। विनियामकका आदेश अस्थायी रूप से स्थगित कर दिए जाने तथा अपील/न्यायालय प्रक्रियाएं लंबित होने पर भी इनका उल्लेख किया जाना चाहिए)</p>	
<p>V</p>	<p>मद I से III के संबंध में अन्य कोई स्पष्टीकरण/सूचना एवं ऐसी अन्य जानकारी जो समुचित निर्णय लेने में संगत समझी जाती हो।</p>	
	<p style="text-align: center;"><u>वचनपत्र</u></p> <p>मैं.....सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती.....पुष्टि करता हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं पूर्ण है। मैं वचन देता हूँ कि मेरी नियुक्ति के बाद उपर्युक्त सूचनाओं के संबंध में संगत सभी घटनाओं के बारे में मैं बैंक को पूरी तरह यथाशीघ्र सूचित करूंगा। मैं यह भी वचन देता हूँ कि मैं निर्वाचित होने पर बैंक के सभी निदेशकों द्वारा निष्पादित किये जाने हेतु अपेक्षित प्रतिज्ञा पत्र विलेख निष्पादित करूंगा तथा बैंक की आचार संहिता के अध्यक्ष रहूंगा।</p>	
	<p>स्थान : दिनांक :</p>	<p style="text-align: right;">उम्मीदवार के हस्ताक्षर</p>
<p>संलग्नक : नोट :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जहाँ कहीं पर्याप्त स्थान नहीं है, सूचना अनुबंध के रूप में संलग्न करें जो एक क्रम में हो तथा समुचित प्रति-संदर्भ के अनुसार हो। 2. उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक पृष्ठ (अनुबंध सहित) पर हस्ताक्षर किए जाने अपेक्षित हैं। 		
<p>VI</p>	<p style="text-align: center;">बैंक के बोर्ड की नामांकन समिति की अभ्युक्तियां/प्रेक्षण</p>	
<p style="text-align: center;">नामांकन समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर</p>		
<p>नाम :</p>	<p style="text-align: right;">हस्ताक्षर</p>	
<p>नाम :</p>	<p style="text-align: right;">हस्ताक्षर</p>	
<p>नाम :</p>	<p style="text-align: right;">हस्ताक्षर</p>	
<p>स्थान : दिनांक :</p>		



	<p>g Whether the Candidate at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, DCA, RBI, MCA, FEMA, CIBIL etc? (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the about orders and findings made by regulators which have been latter reversed/set aside in to, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal/setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc. and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate/court proceedings are pending, the same also should be mentioned).</p>	
<p>V</p>	<p>Any other explanation/information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging fit and proper.</p>	
	<p style="text-align: center;">Undertaking</p> <p>I,.....Son/Daughter/Wife of Shri/Smt confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above. I also undertake to execute on getting elected the deed of covenant required to be executed by all directors of the Bank and be subjected to the code of conduct of the Bank.</p>	
	<p style="text-align: right;">Signature of the Candidate</p> <p>Place : Date :</p>	
<p>Enclosures :</p>		
<p>Note :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexure in chronological order and with appropriate cross reference. 2. All pages (including annexure) are required to be signed by the candidate. 		
<p>VI</p>	<p style="text-align: center;">Observations/Remarks of the Nomination Committee of Board of the Bank</p>	
<p style="text-align: center;">Signature of Nomination Committee Members</p>		
<p>1. Name :</p>	<p style="text-align: right;">(Signature)</p>	
<p>2. Name :</p>	<p style="text-align: right;">(Signature)</p>	
<p>3. Name :</p>	<p style="text-align: right;">(Signature)</p>	
<p>Place : Date :</p>		



घोषणा

(उम्मीदवार द्वारा)

- मैं,.....सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी, श्री/श्रीमती
.....निवासी एतद्वारा पुष्टि करता हूँ/करती हूँ कि,
ए. दिनांक शुक्रवार, 06 फरवरी, 2015 को यानी निर्वाचन में भाग लेने की कट-ऑफ तिथि को बैंक के.....ईक्विटी शेयरों का धारक हूँ और
बी. मुझे (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (iii) सहकारिता, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त, (vi) विधि, (vii) लघु उद्योग, या..... का (जिसका विशेष ज्ञान एवं जिसमें व्यावहारिक अनुभव भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी है) विशेष ज्ञान है या व्यावहारिक अनुभव है* और मैं अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 3ए की शर्तों के अनुसार जमाकर्ताओं/कृषकों, कामगारों एवं शिल्पियों के हित का प्रतिनिधित्व करता/करती हूँ जिसके प्रमाणस्वरूप एतद्वारा संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता/करती हूँ और
सी. मैं नामांकन संख्या.....स्वीकार करता/करती हूँ तथा
डी. मैं इलाहाबाद बैंक के शेयरधारक निदेशक का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हूँ एवं
ई. मैं बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना, 1970, इलाहाबाद बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन, 1999, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी संगत अधिसूचना और इस संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के उपबंधों के अधीन बैंक का निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं हूँ तथा
एफ. मैं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथापरिभाषित किसी अनुषंगी बैंक में न तो कोई लाभ का पद धारित करता/करती हूँ तथा न ही उसका/उसकी कोई कर्मचारी हूँ तथा
जी. मुझे किसी आर्थिक अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित नहीं किया गया है
एच. मैं किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या वित्तीय संस्था में निदेशक नहीं हूँ,
आई. मैं पहले भी इस बैंक के निदेशक मंडल में किसी भी श्रेणी के अंतर्गत लगातार दो कार्यकाल या 6 वर्षों के लिए जो भी अधिक है, निदेशक नहीं रहा हूँ/रही हूँ
जे. मैं किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या किसी वित्तीय संस्था में किसी भी श्रेणी के तहत (सीए श्रेणी सहित कर) लगातार दो कार्यकाल या 6 वर्षों के लिए, चाहे यह लगातार हो या रुककर, निदेशक नहीं रहा हूँ; तथा
के. मैं किसी भी किराया खरीद, वित्तपोषण, निवेश, पट्टादायी एवं अन्य पैरा-बैंकिंग क्रियाकलापों, सांसदों, विद्यायकों, विधान परिषद के सदस्यों एवं स्टॉक बोकरो से संबद्ध नहीं हूँ तथा
एल. मैं निर्वाचित होने पर आगे से बैंक के साथ प्रोफेशनल संबंध समाप्त कर दूंगा/दूंगी तथा निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान तथा आगे दो वर्षों तक प्रोफेशनल संबंध नहीं रखूंगा/रखूंगी; तथा
एम. मैं बैंक को उपरोक्त सूचनाओं से संबद्ध ऐसी सभी घटनाओं, जो कि मेरी नियुक्ति के पश्चात होती है, की जानकारी यथासंभव शीघ्र ही उपलब्ध करवाने का वचन देता हूँ
एन. मैं अपना व्यक्तिगत विवरण संलग्न कर रहा हूँ जो कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण हैं

उम्मीदवार के हस्ताक्षर	
नाम	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो सं./डीपीआईडी सं. एवं ग्राहक आईडी सं.	
स्थान	
तारीख	

उपर्युक्त घोषणा पत्र पर मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया है

न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, एशयोरेंसेज के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या इलाहाबाद बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

*जो लागू नहीं है उसे काट दें।



Declaration

(BY THE CANDIDATE)

- I,.....son/daughter/wife of Shri/Smt.resident of hereby confirm that:
- a. I am a shareholder holding.....equity shares of the Bank as on Friday, the 06th February, 2015 i.e. the Cut-off date for participating in the elections, and
 - b. I have special knowledge or practical experience in* (i) agricultural and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance (vi) law, (vii) small scale industry, or..... (special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors / farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials, and
 - c. I accept the nominations numbering....., and
 - d. I am willing to contest for the election of Shareholders' Director of Allahabad Bank, and
 - e. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings), Act 1970, Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999 as amended, relevant Notifications issued by the Reserve Bank of India and Guidelines issued by the Govt. of India in this regard, and
 - f. I neither hold any office of profit nor am an employee of any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, and
 - g. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other Court, and
 - h. I am not a Director in any other Public Sector Bank or Financial Institution; and
 - i. I have not been a Director on the Board of this Bank, in the past, under any category for two terms or six years whichever is longer; and
 - j. I have not been a Director of any Public Sector Bank or Financial Institution under any category (including CA Category) for two terms or six years, whether continuously or intermittently, and
 - k. I am not connected with any hire purchase, financing, investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers, and
 - l. I will sever professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter; and
 - m. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.
 - n. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete in all respects.

Signature of the candidate	
Name	
No. of shares	
Regd. Folio No./DP ID & Client ID	
Place	
Date	

The above declaration was signed before me

(Signature with Seal of Judge/Magistrate/Registrar or Sub-Registrar of Assurances/other Gazetted Officer/an officer of the Reserve Bank of India/Allahabad Bank/any Nationalized Bank.)

*delete whichever is not applicable.



नामांकन फार्म
(शेयरधारक द्वारा)

क्रम सं.

सेवा में,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
इलाहाबाद बैंक,
2, नेताजी सुभाष रोड,
कोलकाता-700001

प्रिय महोदय,

निदेशकों का निर्वाचन

आपके दिनांक 09 फरवरी, 2015 के नोटिस के संदर्भ में मैं,.....
इलाहाबाद बैंक का एक शेयरधारक, जो शुक्रवार, 06 फरवरी, 2015, निर्वाचन में भाग लेने के लिए निर्धारित नियत तिथि को ₹ 10/- प्रत्येक के अंकित
मूल्य के.....ईक्विटी शेयरों का धारक एतद्वारा श्री/श्रीमती..... सुपुत्र/
सुपुत्री/पत्नी.....निवासी.....को 10 मार्च, 2015 को
आयोजित होनेवाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम सभा में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i)
में यथाउपबन्धित बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले इलाहाबाद बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जाने हेतु नामित करता/करती हूँ।

हस्ताक्षर	
नाम	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो सं./डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी सं.	
स्थान	
तिथि	

टिप्पणी :

- 1) यदि किसी निगमित निकाय द्वारा नामांकन किया जाता है तो नामांकन फार्म के साथ पारित संकल्प की एक प्रमाणित सत्य प्रति संलग्न की जानी चाहिए और उस पर जिस बैठक में इसे पारित किया गया है उसके अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिए।
- 2) उम्मीदवार का नामांकन करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (शेयरधारकों के रजिस्ट्रार/डिपॉजिटरी रिकॉर्ड में पंजीकृत) के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से मिलने चाहिए।
- 3) यदि उपर्युक्त में से कोई कॉलम रिक्त छोड़ा गया या विवरण असत्य पाया गया तो नामांकन रद्द किया जा सकता है।



NOMINATION FORM
(BY THE SHAREHOLDER)

Serial No.

To,
The Chairman & Managing Director,
Allahabad Bank,
2, Netaji Subhas Road,
Kolkata-700 001

Dear Sir,

ELECTION OF DIRECTORS

With reference to your Notice dated 9th February, 2015, I,..... a shareholder of Allahabad Bank holding.....equity shares of face value of ₹ 10/- each as on Friday, the 06th February, 2015, being the Cut-off Date considered for participating in the election, do hereby nominate Shri/ Smt. son/daughter/wife of.....Residing at....., for being elected as a Director of Allahabad Bank representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on 10th March, 2015.

Signature	
Name	
No. of shares	
Regd. Folio No./DP ID & Client ID	
Place	
Date	

Notes :

- 1) In case nomination is made by a Body Corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
- 2) Signature of the shareholders nominating the candidature should match with the specimen signature available with the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank (As recorded in the Register of Shareholders/Depository Records).
- 3) If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.



इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता : 700001

उपस्थिति पर्ची

(बैठक स्थल पर प्रवेश के समय इसे जमा किया जाए)

दिन एवं दिनांक : मंगलवार, 10 मार्च, 2015

समय :

स्थान : भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेल्लेडू रोड, अलिपुर, कोलकाता-700027

मैं एतद्वारा इलाहाबाद बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ।

उपस्थित शेयरधारक/परोक्षी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
पंजीकृत फोलियो सं./डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी	
शेयरधारक का नाम	
शेयरों की संख्या	

शेयरधारक(कों)/परोक्षी/शेयरधारक(कों) के प्राधिकृत प्रतिनिधि से अनुरोध है कि वे बैठक में प्रवेश करने के लिए प्रवेश पत्र के साथ विधिवत हस्ताक्षरित (वही हस्ताक्षर करें जो शेयरधारकों के रजिस्टर/डीमैट खाता/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति संबंधी लिखत में पंजीकृत उनके नमूना हस्ताक्षर हैं) उक्त उपस्थिति-पर्ची प्रस्तुत करें। तथापि, प्रवेश सत्यापन/जाँच, जैसा आवश्यक समझा जाएगा, की शर्त के अधीन होगा। किसी भी परिस्थिति में, बैठक के प्रवेशद्वार पर कोई डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी।

इलाहाबाद बैंक

प्रवेश पत्र

(बैठक के दौरान अपने पास रखें)

उपस्थित शेयरधारक/परोक्षी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
पंजीकृत फोलियो सं./डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी	
शेयरधारक का नाम	
शेयरों की संख्या	

इलाहाबाद बैंक

बैलेट पेपर पास

(बैलेट पेपर जारी किए जाने वाले काउंटर पर बैलेट पेपर जारी किए जाने हेतु जमा दिया जाना है)

उपस्थित शेयरधारक/परोक्षी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
पंजीकृत फोलियो सं./डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी	
शेयरधारक का नाम	
शेयरों की संख्या	

नोट :

1. बैठक में कोई उपहार/गिफ्ट कूपन नहीं बांटा जाएगा।
2. जो शेयरधारक ई-वोटिंग द्वारा अपना मत पहले ही दे चुके हैं, वे ईजीएम स्थल पर मत देने के पात्र नहीं होंगे।
3. किसी भी परिस्थिति में डुप्लीकेट बैलेट पेपर जारी नहीं किया जाएगा।



ALLAHABAD BANK

HEAD OFFICE : 2, Netaji Subhas Road Kolkata-700 001

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of Entry to the venue)

Day & Date : Tuesday, the 10th March, 2015.

Time :

Place : Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata-700027.

I hereby record my presence at Extraordinary General Meeting of the shareholders of Allahabad Bank.

Signature of the Shareholder/ Proxy/Authorized Representative Present	
Regd. Folio No./DP ID & Client ID	
Name of the Shareholder	
Number of Shares	

Shareholder(s)/proxy/authorized representative of shareholder(s) are requested to produce the above attendance slip, duly signed, (same as their specimen signatures registered in the register of shareholders/Demat Account/ Instrument appointing Proxy/Authorized Representative), along with the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verifications, as may be necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance Slip/Entry Pass/Ballot Paper Pass will be issued at the entrance of the venue of the meeting.

**ALLAHABAD BANK
ENTRY PASS**

(To be retained throughout the meeting)

Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative Present	
Regd. Folio No./DP ID & Client ID	
Name of the Shareholder	
Number of Shares	

**ALLAHABAD BANK
BALLOT PAPER PASS**

(To be Surrendered for issue of Ballot Paper at the Ballot Paper issue counters)

**Signature of the Shareholder/
Proxy/Authorized Representative**

Regd. Folio No./DP ID & Client ID (if dematerialized)	
Name of the Shareholder	
Number of Shares	

Note :

- 1. No gifts/gift coupons will be distributed at the meeting.**
- 2. Shareholders who have already cast their vote through e-voting are not entitled to vote at the venue of the EGM.**
- 3. No Duplicate Ballot Paper will be issued under any circumstances.**



इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड

कोलकाता : 700001

फार्म 'बी'

परोक्षी फार्म

(शेयरधारक सदस्य द्वारा भरा एवं हस्ताक्षर किया जाना है)

पंजीकृत फोलियो सं. एवं डी.पी.आई.डी. सं./क्लाइंट आई.डी. सं. _____

मैं/हम.....निवासी.....
जिला.....राज्य.....इलाहाबाद बैंक का/के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा श्री/
श्रीमती.....निवासी.....जिला.....
राज्य को या उनकी अनुपस्थिति में श्री/श्रीमती.....निवासी.....
जिला.....राज्य.....को.....बजे राज्य के.....
जिले में स्थित.....का/के निवासी श्री/श्रीमती.....को मंगलवार, 10
मार्च, 2015 को पूर्वाह्न 10.30 बजे भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेल्लेडू रोड, अलिपुर, कोलकाता-700027 में या इसकी स्थगित तिथि
को इलाहाबाद बैंक के शेयरधारकों की होनेवाली असाधारण आम सभा मेरी/हमारी ओर से मतदान करने के लिए अपना परोक्षी नियुक्त करता हूँ/करते हैं।
दिनांक.....2015 के.....दिन हस्ताक्षरित।

कृपया 1 रुपए
का रसीदी
टिकट चिपकाएं

परोक्षी (प्रॉक्सी) के हस्ताक्षर

प्रथम/एकल धारक के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

.....

.....

परोक्षी (प्रॉक्सी) फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुतीकरण हेतु अनुदेश

- परोक्षी लिखत तभी वैध होगा जब
(ए) वैयक्तिक शेयरधारक सदस्य के मामले में उसके/लिखित रूप से विधिवत प्राधिकृत उसके अर्दोनी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
(बी) संयुक्त धारकों के मामले में सदस्यों के रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अर्दोनी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
(सी) किसी कंपनी निकाय के मामले में वह, उसके अधिकारी द्वारा तथा इसके कॉमन सील, यदि हो, के तहत निष्पादित अथवा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अर्दोनी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
- जिस परोक्षी लिखत पर शेयरधारक अंगूठा निशान अंकित करता है तो वह तभी वैध होगा जब वह न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या एशयोरेंसेज के रजिस्ट्रार अथवा उप-रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या इलाहाबाद बैंक के अधिकारी द्वारा सत्यापित हो।
- परोक्षी के साथ
(ए) मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किए गए या
(बी) नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित मुख्तारनामा अथवा प्राधिकार की प्रति असाधारण आम सभा की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् व्यवसाय समय की समाप्ति को या उससे पहले अर्थात् बुधवार, 04 मार्च, 2015 को अपराह्न 5.00 बजे तक या उससे पहले इलाहाबाद बैंक, शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय, 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700001 में जमा की जानी चाहिए।
- यदि संबद्ध मुख्तारनामा इलाहाबाद बैंक अथवा उसका रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के पास पहले ही पंजीकृत किया जा चुका है तो मुख्तारनामा की पंजीकरण संख्या और ऐसे पंजीकरण की तिथि का उल्लेख किया जाए।
- कोई भी परोक्षी तब तक वैध नहीं होगा, जब तक वह विधिवत स्टांपित न हो।
- बैंक में जमा की गई परोक्षी लिखत अंतिम तथा अप्रतिसंहरणीय होगी।
- यदि परोक्षी लिखत वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के लिए हो तो एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किए जाएंगे।
- जिस शेयरधारक ने परोक्षी लिखत निष्पादित की है वह उस असाधारण आम सभा में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबंधित हो।
- इलाहाबाद बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को विधिवत प्राधिकृत या परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
- कोई भी परोक्षी पत्र तब तक वैध नहीं होगा जब तक वह फार्म - 'बी' पर न हो।

नोट : इस प्रकार नियुक्त परोक्षी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।



ALLAHABAD BANK
H.O: 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001

Form "B"

Form for Proxy

(To be filled in and signed by the shareholder member)

Regd. Folio No./ DPID & Client ID _____

I/We _____ resident/s of _____
_____ in the district of _____ in the state of _____
_____ being a share holder/s of Allahabad Bank,, hereby appoint Shri/
Smt. _____ resident of _____
_____ in the district of _____
_____ or failing him/her. Shri/Smt _____ resident of _____
_____ in the district of _____ in the state of _____

as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Allahabad Bank to be held on Tuesday, the 10th March, 2015 at 10.30 a.m. at Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata-700027, and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____, 2015

Please affix
One Rupee
Revenue
Stamp

.....
Signature of the Proxy

Signature of the First/Sole Holder
Name
Address.....
.....
.....

Instructions for signing and lodging the Proxy form

1. The instrument of proxy to be valid
 - (a) in case of an individual shareholder, shall be signed by him/her attorney duly authorized in writing.
 - (b) in case a joint holder, shall be signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney duly authorized in writing.
 - (c) in case of body corporate, shall be signed by its officer and executed under its common seal, if any or otherwise signed by its attorney duly authorized in writing.
2. An instrument of proxy in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an Officer of Allahabad Bank.
3. The Proxy together with
 - (a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
 - (b) a copy of that power of Attorney or Authority , certified by a Notary Public or a Magistrate should be deposited at the Share Department Head Office of Allahabad Bank, not later than **FOUR Days** before the date of Extraordinary General Meeting, i.e. on or before the close of business hours i.e. upto 5.00 p.m on Wednesday, 4th March 2015.
4. In case of relevant power of attorney is already registered with Allahabad Bank or its Registrar and Share Transfer Agent, the registration number of power of attorney and date of such registration may be mentioned.
5. No proxy shall be valid unless it is duly stamped.
6. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
7. In case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
8. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
9. No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Allahabad Bank.
10. No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form "B".

Note : The proxy so appointed will not have any right to speak at the meeting.

जानबूझकर खाली छोड़ा गया
LEFT INTENTIONALLY BLANK



इलाहाबाद बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

ALLAHABAD BANK

(A Govt. of India Undertaking)

www.allahabadbank.in

विश्वास की परंपरा

A TRADITION OF TRUST